SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का जिला खनिज संस्थान न्यास सहित प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के कार्यान्वयन पर प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ शासन

2026 का प्रतिवेदन संख्या-05

(निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का जिला खनिज संस्थान न्यास सहित प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के कार्यान्वयन पर प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ शासन

2026 का प्रतिवेदन संख्या-05

(निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल)

विषय सूची

विषय	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		iii
कार्यकारी सारांश		v
अध्याय-1: परिचय		
जिला खनिज संस्थान एवं प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना	1.1	1
संगठनात्मक संरचना	1.2	1
जिला खनिज संस्थान न्यास निधि का स्रोत एवं प्रबंधन	1.3	3
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.4	5
लेखापरीक्षा मानदंड	1.5	5
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली	1.6	6
निधि की स्थिति	1.7	7
अध्याय-2: अंशदान निधि का संग्रहण एवं प्रबंधन		
जिला खनिज निधि के अंतर्गत प्राप्तियों का आकलन, मांग एवं संग्रह	2.1	9
बजट बनाना एवं वित्तीय प्रबंधन	2.2	10
अध्याय-3: जिला खनिज संस्थान न्यास से कार्यों/परियोजनाओं का कार्यान्वयन		
परियोजना नियोजन एवं संस्थागत व्यवस्था	3.1	17
परियोजना कार्यान्वयन	3.2	27
अध्याय-4: निगरानी		
निगरानी समितियों की बैठकें	4.1	35
जवाबदेही एवं पारदर्शिता तंत्र	4.2	37
मानव संसाधन	4.3	37
अभिलेखन	4.4	38
अध्याय-5: निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं		
निष्कर्ष	5.1	41
अनुशंसाएं	5.2	42

परिशिष्ट

परिशिष्ट क्रमांक	विषय	कंडिका क्रमांक	पृष्ट क्रमांक
3.1	हितग्राहियों को वस्तुओं का यादृच्छिक निःशुल्क वितरण	3.1.1	45
3.2	न्यासों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति	3.2	48
3.3	अधूरे/अप्रयुक्त कार्यों/परिसंपत्तियों पर निधि का अवरुद्ध होना	3.2.1	49
3.4	प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के बाहर निर्धारित गतिविधियों के लिए न्यास निधि का आवंटन	3.2.2	53
3.5	खुली निविदा आमंत्रित किए बिना वस्तुओं की अनियमित खरीद	3.2.4 (अ)	58
3.6	निर्धारित तकनीकी मानदंडों और विशिष्टताओं के बिना क्रय	3.2.4 (ब)	60
4.1	मानव संसाधन की स्थिति	4.1	61

प्राक्कथन

मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने के लिए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

यह प्रतिवेदन 'जिला खनिज संस्थान न्यास सहित प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के कार्यान्वयन' पर वर्ष 2015-16 से 2023-24 की अवधि को सम्मिलित करते हुए किए गए निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन में उन प्रकरणों का उल्लेख किया गया है जो नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए। जहां भी आवश्यक रहा हो, 2023-24 के बाद की अवधि से संबंधित प्रकरण भी शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सारांश

हमने यह लेखापरीक्षा क्यों किया ?

भारत सरकार ने खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों को लागू करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना शुरू की (सितंबर 2015)। इन गतिविधियों को जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से वित्तपोषित किया जाना था। जिला खनिज संस्थान न्यास को रॉयल्टी के ऐसे प्रतिशत पर जिले में खनन पट्टे या समग्र लाइसेंस या उत्खनन पट्टे के धारकों से योगदान प्राप्त होता है, जो केंद्र सरकार द्वारा मुख्य खनिजों के मामले में और राज्य सरकार द्वारा गौण खनिजों के मामले में या न्यासों द्वारा प्राप्त किसी अन्य निधि के मामले में निर्धारित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 अधिसूचित किया (दिसंबर 2015) एवं 33 जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास की स्थापना के लिए अधिसूचना (जनवरी 2016, मई 2020 और दिसंबर 2022) जारी किया।

जिला खनिज संस्थान न्यास को वर्ष 2023-24 तक कुल ₹13,101.65 करोड़ का अंशदान प्राप्त हुआ था; जिसमें से ₹10,253.22 करोड़ (78 प्रतिशत) छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न कार्यों/गतिविधियों पर खर्च किए गए थे।

यह निष्पादन लेखापरीक्षा राज्य में मौजूदा संस्थागत व्यवस्थाओं, निधियों के मूल्यांकन, संग्रहण एवं प्रबंधन के लिए तंत्र; परियोजनाओं/कार्यों की योजना और निष्पादन; तथा निगरानी एवं जवाबदेही तंत्र की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का आकलन करने के उद्देश्य से की गई थी।

हमने क्या पाया ?

राज्य शासन का खनिजऑनलाइन पोर्टल मुख्य खनिजों के लिए ऑनलाइन पारगमन पास जारी करने के समय रॉयल्टी के साथ पट्टा धारकों द्वारा जिला खनिज संस्थान अंशदान के भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। हालांकि, खनिजऑनलाइन में गौण खनिजों के लिए इसी तरह की सुविधा की कमी थी। इसके अलावा, गौण खनिज परिवहन के लिए पारगमन पास जारी करने के लिए उपयोग किए जा रहे 'फॉर्म-2' में रॉयल्टी भुगतान के साथ-साथ जिला खनिज संस्थान भुगतान का विवरण नहीं दिया जा रहा था। इससे रॉयल्टी भुगतान के साथ-साथ जिला खनिज संस्थान अंशदान की पट्टा-वार प्राप्ति का पता लगाने/सत्यापित करने में कठिनाई हुई।

खनिज संसाधन विभाग ने गौण खनिजों से संबंधित रॉयल्टी और जिला खनिज संस्थान अंशदान की समय पर प्राप्ति के लिए खनिजऑनलाइन 2.0 पोर्टल तैयार किया है, जिसका कार्यान्वयन होना बाकी है।

(कंडिका 2.1.1)

लेखापरीक्षा ने जिला खनिज संस्थान न्यास नियमों का काफी उल्लंघन पाया, क्योंकि चयनित जिलों में बजट और वार्षिक कार्ययोजना बनाए बिना न्यास निधि का इस्तेमाल किया गया, भारत सरकार के आदेशों (जुलाई 2021) के विपरीत न्यास निधि से राज्य-स्तरीय जिला खनिज

संस्थान प्रकोष्ठ को ₹1.68 करोड़ हस्तांतरित किया गया और मार्च 2024 तक राज्य-स्तरीय जिला खनिज संस्थान प्रकोष्ठ के पास ₹10.82 करोड़ की रकम बकाया रही। न्यासों ने ऑटो-स्वीप या फ्लेक्सी जमा का विकल्प चुने बिना निधि को बचत खाते में रखा, जिससे ब्याज से कमाई को इष्टतम उपयोग करने के मौके छूट गए। न्यास के कार्यों/गतिविधियों का सामाजिक लेखापरीक्षा भी नहीं किया गया।

(कंडिका 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 और 2.2.5)

लेखापरीक्षा ने छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 तैयार करने में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना दिशानिर्देश, 2015 से विचलन पाया, जो खनन प्रभावित समुदायों के लिए संभावित रूप से इच्छित लाभों को कम कर रहा था। प्रमुख मुद्दों में शामिल हैं:

- प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में उल्लिखित प्रावधानों के अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में 'प्रभावित व्यक्तियों' की परिभाषा में संशोधन, प्रभावित क्षेत्रों में रहने या काम करने वाले सभी लोगों को शामिल करने के लिए दायरे का विस्तार करना। बिना किसी विशिष्ट सीमा के, खनन प्रभावित जिलों के पूरे क्षेत्र और व्यक्तियों को इसके दायरे में शामिल किया जाना। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित दोनों क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच मुफ्त वस्तुओं के वितरण के लिए न्यासों द्वारा ₹709.47 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई थी, जिसमें से ₹28.11 करोड़ की राशि के 30 मामलों की लेखापरीक्षा नमूना जांच से पता चलता है कि वितरण कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा स्पष्ट मानदंड स्थापित किए बिना या लक्षित लाभार्थियों की पहचान किए बिना यादृच्छिक रूप से किया गया था। इन विविधताओं के कारण योजना के उद्देश्यों के विपरीत, खनन प्रभावित आबादी पर ध्यान केंद्रित किए बिना व्यापक सामुदायिक योजनाओं पर धन का उपयोग किया जा रहा था।

- प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, 2015 में निर्धारित राज्य विधानसभा के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के प्रावधान का लोप। इसलिए, लेखा परीक्षक की प्रतिवेदन के साथ वार्षिक खातों वाले जिला खनिज संस्थान न्यास की वार्षिक प्रतिवेदन संबंधित जिला पंचायत और राज्य शासन को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं की गई थी।

(कंडिका 3.1.1)

यद्यपि न्यासों ने ₹4,536.58 करोड़ रुपये (81 प्रतिशत) निधियों का उपयोग किया; फिर भी 11 नमूना जिलों में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित 1,734 गांवों में से 754 (44 प्रतिशत) गांव इससे अछूते रहे। खनन क्षेत्रों में प्रभावित व्यक्तियों के लिए दीर्घकालिक स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने हेतु मास्टर प्लान/विजन दस्तावेज/वार्षिक योजना तैयार किए बिना ही निधियों का उपयोग किया गया।

(कंडिका 3.1.2)

'प्रभावित क्षेत्रों' की पहचान न्यास स्थापना के बाद पांच से 65 महीने की देरी के साथ की गई थी और क्षेत्रों की पहचान किए बिना कार्यों के लिए ₹1,060.70 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसके अलावा, 'प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों' के तहत पहचाने गए गांवों की सूची जिला कलेक्टरों द्वारा कार्यालय आदेश के माध्यम से जारी की गई थी, लेकिन जिला खनिज संस्थान न्यास नियमों के तहत निर्धारित अनुसार अधिसूचित नहीं की गई थी।

(कंडिका 3.1.3)

न्यास निधि से कार्यों/गतिविधियों को शुरू करने में पर्याप्त योजना, निगरानी और उचित सावधानी की कमी के परिणामस्वरूप कला और संस्कृति केंद्र, बायोगैस संचालित विद्युत उत्पादन संयंत्र, मुर्गी पालन और मशरूम उत्पादन केंद्र आदि जैसे अपूर्ण कार्यों और अप्रयुक्त संपत्तियों पर ₹41.80 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ, जो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत कार्यों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में कमियों को दर्शाता है।

(कंडिका 3.2.1)

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में निर्धारित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से बाहर, विभिन्न सरकारी कार्यालयों के निर्माण/नवीनीकरण/सौंदर्यीकरण कार्यों और क्रय आदि के लिए ₹30.73 करोड़ रुपये की न्यास निधि का उपयोग किया गया।

(कंडिका 3.2.2)

कार्यान्वयन एजेंसियों ने खुली निविदाओं को आमंत्रित किए बिना सीमित निविदा के आधार पर ₹17.49 करोड़ और तकनीकी विशिष्टताएं निर्धारित किए बिना ₹38.82 करोड़ की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की, जिससे छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ।

(कंडिका 3.2.4)

राज्य स्तरीय निगरानी समिति और राज्य स्तरीय समीक्षा समिति की बैठकें निर्धारित आवृत्ति से कम हुईं। नमूनाकृत 12 जिलों की वेबसाइटों की लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चला कि न्यास की संरचना, खनन से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों की सूची, प्राप्त अंशदान का त्रैमासिक विवरण, किए गए कार्यों की स्थिति, वार्षिक योजना और बजट, बैठकों का कार्यवृत्त आदि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी वेबसाइटों पर उजागर/अद्यतन नहीं की गई थी। कुशल मानव संसाधन की कमी थी और परियोजना समन्वयक, सहायक परियोजना समन्वयक, लेखापाल और सहायक जैसे महत्वपूर्ण पद खाली पड़े थे। बेमेतरा और महासमुंद जिलों में 100 प्रतिशत मानव संसाधन की कमी थी और बलोद, बिलासपुर, रायगढ़ और राजनांदगांव नामक चार जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक मानव संसाधन की कमी थी।

(कंडिका 4.1.1, 4.1.2, 4.2 और 4.3)

राज्य स्तरीय निगरानी समिति ने छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 25 के तहत आवश्यक अभिलेख-संरक्षण के लिए प्रारूप निर्धारित नहीं किए थे। न्यास प्रशासनिक स्वीकृतियों का रजिस्टर, उपयोगिता प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण अभिलेखों को बनाए

रखने में भी विफल रहे हैं; ये अभिलेख संपादन योग्य डिजिटल प्रारूपों (एक्सेल) में थे। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा क्रय से संबन्धित अभिलेखों को खुली/अलग-अलग फाइलों में रखा गया था।

(कंडिका 4.4)

हम क्या अनुशंसा करते हैं?

जिला खनिज संस्थान न्यास के कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने और राज्य में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को अच्छे और प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन के उद्देश्य से लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि राज्य शासन:

- ***'प्रभावित व्यक्तियों' की सूची तुरंत तैयार करें और छत्तीसगढ़ राजपत्र में 'प्रभावित क्षेत्रों' के साथ इसे अधिसूचित करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ लक्षित हितग्राहियों तक पहुंचें।***
- ***खनन प्रभावित क्षेत्रों में संसाधनों के समान वितरण के लिए प्रत्यक्ष प्रभावित गांवों का कवरेज सुनिश्चित करना।***
- ***एक दीर्घकालिक मास्टर प्लान और विजन दस्तावेज तैयार करें जो गतिविधियों को प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के उद्देश्यों के अनुरूप संरेखित करे और जिसका क्रियान्वयन खनन प्रभावित क्षेत्रों और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करे।***
- ***वित्तीय अनुशासन के लिए शासी परिषद द्वारा विधिवत अनुमोदित न्यासों द्वारा वार्षिक योजना और बजट की तैयारी करना सुनिश्चित करें।***
- ***सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के कार्यान्वयन में जिला खनिज संस्थान न्यास की प्रभावशीलता का आकलन करने तथा सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने की योजना बनाएं।***
- ***यह सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करें कि जिला खनिज संस्थान न्यास और कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय सहित कानूनी ढांचे और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अनुसार काम कर रहे हैं।***

अध्याय-I

परिचय

अध्याय-I

परिचय

1.1 जिला खनिज संस्थान एवं प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना

भारत सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन (मार्च 2015) करके, खनन या खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, राज्य सरकार द्वारा जिला खनिज संस्थान नामक एक न्यास की स्थापना का प्रावधान शामिल किया।

भारत सरकार ने (16 सितंबर 2015) जिला खनिज संस्थान द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत उन्हें प्राप्त होने वाली निधियों से कार्यान्वित किये जाने के लिए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना तैयार किया है।

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के उद्देश्य हैं (क) खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करना है, और ये परियोजनाएं/कार्यक्रम राज्य और केंद्र सरकार की मौजूदा चल रही योजनाओं/परियोजनाओं के पूरक होंगे (ख) खनन के दौरान और बाद में, खनन जिलों में पर्यावरण, स्वास्थ्य और लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करना और (ग) खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालिक स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना। भारत सरकार ने राष्ट्रीय हित में राज्य सरकारों को जिला खनिज संस्थान के लिए उनके द्वारा बनाए गए नियमों में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को शामिल करने और उक्त योजना को लागू करने के निर्देश दिये।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन ने दिसंबर 2015 में छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 को अधिसूचित किया और 33 जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास की स्थापना के लिए अधिसूचना (जनवरी 2016, मई 2020 और दिसंबर 2022) जारी की।

राज्य शासन ने 12 सितंबर 2025 की अधिसूचना के माध्यम से छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में संशोधन किया और भारत सरकार, खान मंत्रालय द्वारा जारी (15 जनवरी 2024) संशोधित प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, 2024 दिशानिर्देशों को शामिल किया। हालांकि, राज्य शासन ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, 2024 के उस लेखापरीक्षा प्रावधान को शामिल नहीं किया, जिसमें यह कहा गया है कि जिला खनिज संस्थान न्यास खातों का लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अपनी समय-सारणी के अनुसार किया जाना चाहिए।

1.2 संगठनात्मक संरचना

खनिज संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, न्यासों के साथ प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए प्रशासनिक विभाग है। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ जिला खनिज

संस्थान न्यास नियम 2015 के नियम 17 के अनुसार, राज्य के सभी न्यासों के समग्र कामकाज का मार्गदर्शन करने के लिए व्यापक नीतिगत ढांचा निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन (जनवरी 2016[1]) किया गया था। राज्य स्तरीय निगरानी समिति में मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष के रूप में, नौ[2] पदेन सदस्य और खनिज संसाधन विभाग के सचिव पदेन सदस्य सचिव के रूप में शामिल हैं।

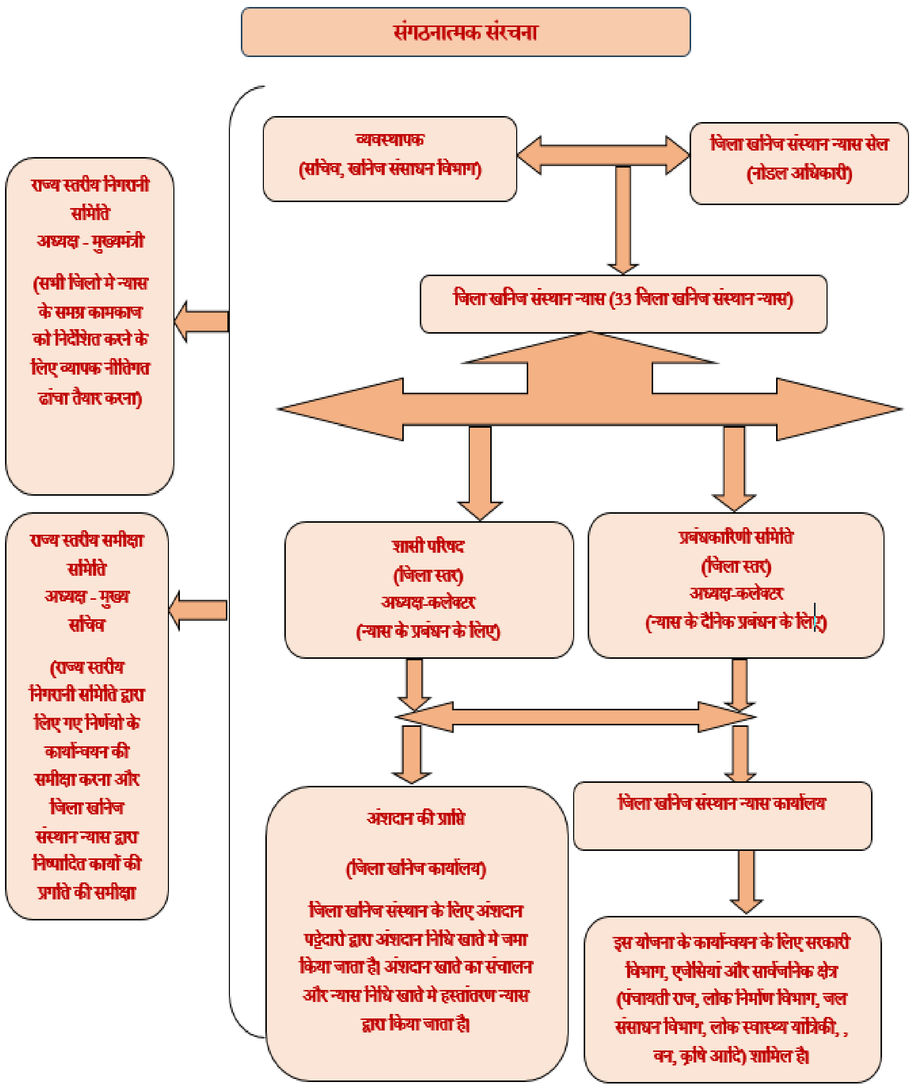

---

[1] छत्तीसगढ़ शासन, जिसका प्रतिनिधित्व सचिव, खनिज संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है (व्यवस्थापक) द्वारा कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया है, हालांकि समिति की पहली बैठक जनवरी 2016 में आयोजित की गई थी।

[2] वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, वन मंत्री, पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री, जनजातीय विकास मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के मंत्री और मुख्य सचिव पदेन सदस्य हैं।

1.3 जिला खनिज संस्थान न्यास निधि का स्रोत एवं प्रबंधन

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9बी एवं 15(4)(सी) में यह प्रावधान है कि खनन पट्टा या पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टा धारक, रॉयल्टी के अतिरिक्त, जिला खनिज संस्थान न्यास को न्यास अंशदान का भुगतान करेगा, ऐसी दरों पर जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा क्रमशः मुख्य और गौण खनिजों के मामले में निर्धारित की जा सकती हैं।

मुख्य खनिजों के लिए, भारत सरकार द्वारा खान और खनिज (जिला खनिज संस्थान में अभिदाय) नियम, 2015 के नियम 2 में जिला खनिज संस्थान न्यास अंशदान की दरें अधिसूचित की गई (17 सितंबर 2015), जो 12 जनवरी 2015 को या उसके बाद दिए गए खनन पट्टों के संबंध में भुगतान की गई रॉयल्टी का 10 प्रतिशत और 12 जनवरी 2015 से पहले दिए गए खनन पट्टों के संबंध में भुगतान की गई रॉयल्टी का 30 प्रतिशत है।

इसी प्रकार, गौण खनिजों के लिए, छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 50 (4) में अंशदान की दरें अधिसूचित कीं (23 मार्च 2016), यदि पट्टा नीलामी के माध्यम से नहीं दिया गया है तो रॉयल्टी का 30 प्रतिशत और यदि पट्टा नीलामी के माध्यम से दिया गया है तो रॉयल्टी का 10 प्रतिशत है।

मुख्य खनिजों के मामले में खनन पट्टा या मिश्रित लाइसेंस धारकों से या गौण खनिजों के मामले में खनन पट्टा या उत्खनन पट्टा या उत्खनन परमिट धारकों से अंशदान के माध्यम से एकत्रित धनराशि या न्यासों द्वारा प्राप्त कोई अन्य धनराशि अंशदान निधि का गठन करती है, जिसका रखरखाव न्यास की प्रबंधकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा और इसे एक या अधिक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में रखा जाना चाहिए।

व्यवस्थापक द्वारा किए गए प्रारंभिक भुगतान[3] में प्राप्त निधि; कोई भी अनुदान; व्यवस्थापक या किसी अन्य एजेंसी, संस्था या व्यक्ति से प्राप्त अंशदान या अन्य पूंजीगत सहायता; राज्य स्तरीय निगरानी समिति द्वारा निर्धारित अंशदान निधि का हिस्सा; निवेश और अन्य जमा और उन पर अर्जित ब्याज आदि न्यास निधि का गठन करेंगे और इन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सार्वजनिक कोष को रखने के लिए अनुमोदित एक या अधिक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में न्यास के नाम पर ही रखा जाना चाहिए। उपयोग के लिए निधियों के प्रवाह को **चार्ट 1.1** में दर्शाया गया है।

---

[3] न्यासियों के नियंत्रण में जिला खनिज संस्थान न्यास की स्थापना करते समय व्यवस्थापक द्वारा रखी गई ₹ 1,000 की राशि को 'प्रारंभिक भुगतान' के रूप में संदर्भित किया गया है।

चार्ट 1.1: प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत उपयोग के लिए निधियों का प्रवाह

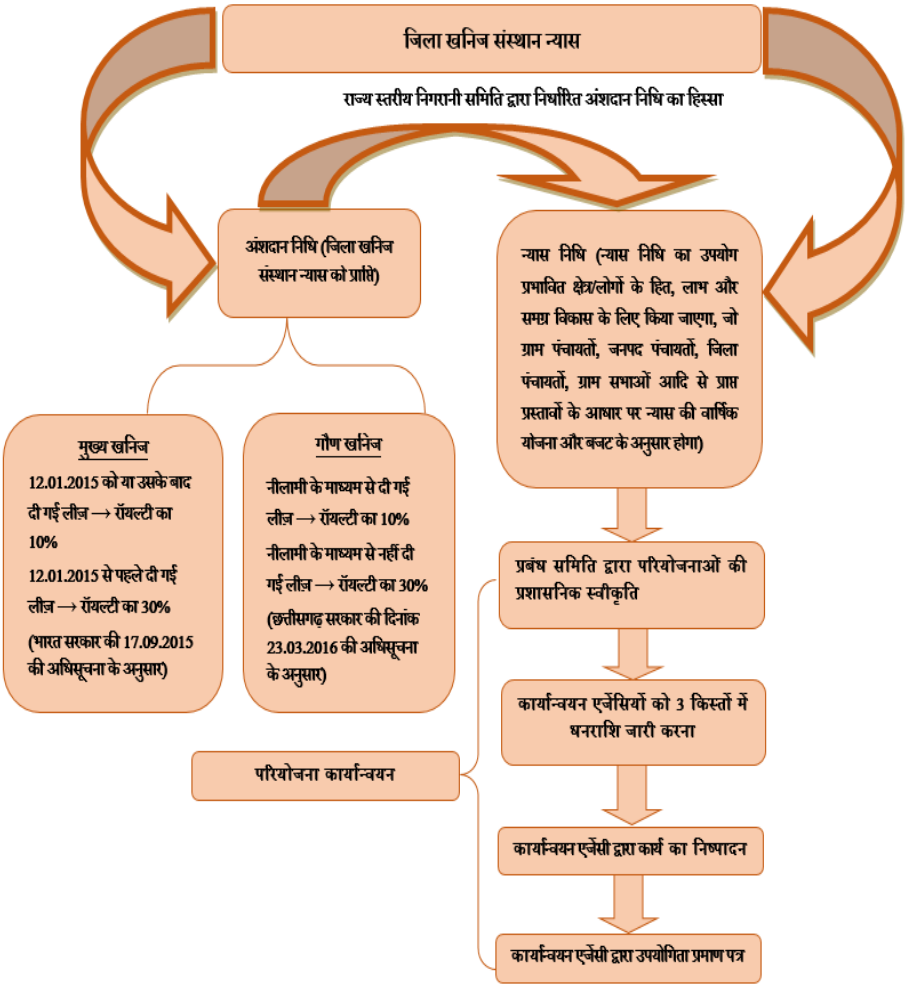

वर्ष 2023-24 तक जिला खनिज संस्थान न्यास को कुल ₹ 13,101.65 करोड़ का अंशदान प्राप्त हुआ था; जिसमें से ₹ 10,253.22 करोड़ (78 प्रतिशत) छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न कार्यों/गतिविधियों पर खर्च किए गए थे। वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान, राज्य की खनन संबंधी प्राप्तियां ₹ 49,776.28 करोड़ थीं एवं जिला खनिज संस्थान न्यास अंशदान निधि की प्राप्तियां ₹ 9,188.17 करोड़ थीं, जो राज्य की कुल खनन प्राप्तियों का 18.45 प्रतिशत थी। राज्य की राजस्व प्राप्तियां, गैर-कर राजस्व, खनन प्राप्तियां एवं जिला खनिज संस्थान न्यास अंशदान **चार्ट 1.2** में दर्शाए गए हैं।

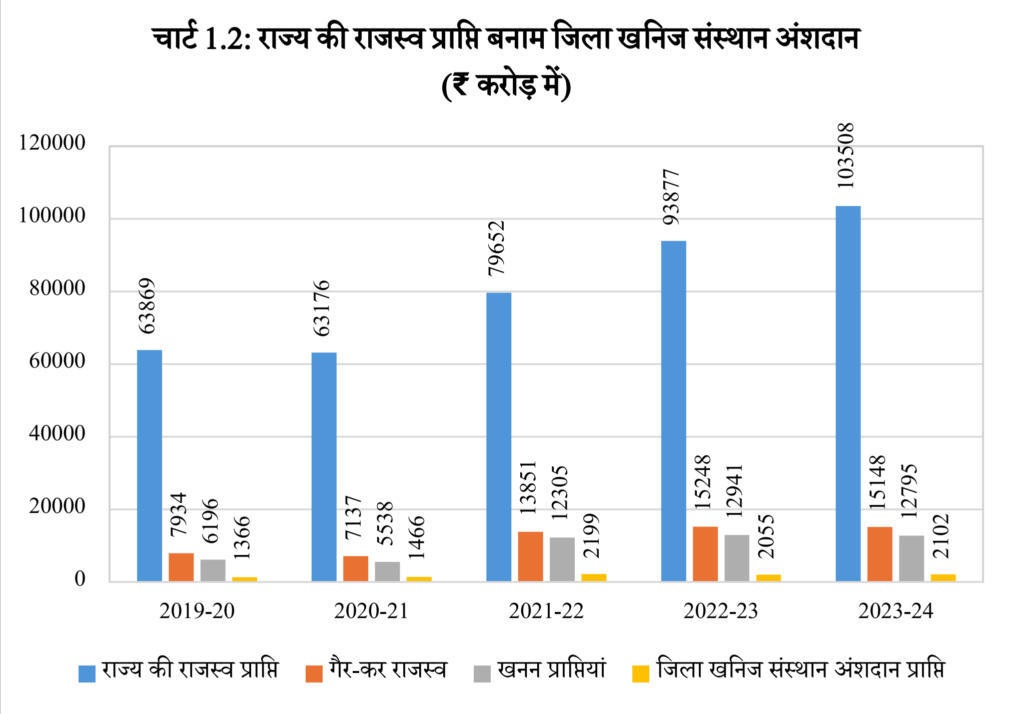

1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ की गई थी:

- क्या जिला खनिज संस्थान के अंतर्गत प्राप्तियों के आंकलन, मांग और संग्रहण की प्रणाली विश्वसनीय और कुशल थी
- क्या जिला खनिज संस्थान न्यास का निधि प्रबंधन मितव्ययी और कुशल था
- क्या छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियमों और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी योजना और संस्थागत व्यवस्था की गई थी
- क्या प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रभावी ढंग से लागू किया गया था और यह प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सका
- क्या योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण पर्याप्त था और मूल्यांकन प्रभावी था

1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत में निम्नलिखित अधिनियमों और नियमों में निहित प्रावधान शामिल थे:

- प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, 2015
- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957

- छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015
- छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015
- भारत सरकार की खान और खनिज (जिला खनिज संस्थान में अभिदाय) नियम, 2015
- छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता, वित्त संहिता, भंडार क्रय नियम, कार्य विभाग नियमावली, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन और छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कोई अन्य परिपत्र, अधिसूचना और दिशानिर्देशों का प्रावधान।

1.6 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

एक प्रतिनिधित्व नमूना प्राप्त करने के लिए, स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण विधि द्वारा पांच जिलों (कोरबा, बालोद, बिलासपुर, महासमुंद और मुंगेली) का चयन किया गया था। इसके अतिरिक्त, सात और जिलों (रायगढ़, राजनांदगांव, सुकमा, रायपुर, कोंडागांव, बेमेतरा और बस्तर) को भी शामिल किया गया, जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर की गई जनहित याचिका-रिट पिटीशन क्रमांक-68 वर्ष 2023 के अनुसार है।

इसके बाद, प्रत्येक जिले में तीन जनपद पंचायत चुने गए; प्रत्येक जनपद पंचायत से पांच ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। इसके अतिरिक्त, नमूना-जांच एवं संयुक्त भौतिक निरीक्षण के लिए, प्रत्येक ग्राम पंचायत में अधिकतम पांच परियोजनाओं का चयन किया गया था, जहाँ चयनित ग्राम पंचायत में परियोजनाओं की संख्या पांच से अधिक थी, वहाँ विवेकपूर्ण नमूनाकरण के माध्यम से ऐसी परियोजनाओं का चयन किया गया।

लेखापरीक्षा मानदंडों के संदर्भ में लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई लेखापरीक्षा पद्धति में रॉयल्टी के सापेक्ष प्राप्त जिला खनिज संस्थान अंशदान पर जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध आंकड़ों की जांच; राज्य स्तरीय निगरानी समिति में अभिलेखों की जांच; राज्य स्तरीय समीक्षा समिति और योजना, निगरानी, मूल्यांकन और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार जिलों के न्यास कार्यालयों में मौजूद अभिलेखों की जांच शामिल थी। इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों/गतिविधियों के निष्पादन पर प्रस्तुत अभिलेखों की जांच की गयी।

निष्पादन लेखापरीक्षा में न्यासों की स्थापना (2015-16) से लेकर मार्च 2024 तक की अवधि को शामिल किया गया। लेखापरीक्षा ने खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के लाभ के लिए न्यास निधि के उपयोग का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित किया। लेखापरीक्षा ने निधि के उपयोग को नियंत्रित करने वाले प्रशासनिक और जवाबदेही तंत्र के अनुपालन की भी जांच की।

निष्पादन लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानदंडों, दायरे और कवरेज और अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विशेष सचिव, खनिज संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, के साथ एक आगम सम्मेलन (अक्टूबर 2024) आयोजित किया गया था। प्रतिवेदन राज्य शासन को 12 जून 2025 को भेजी गई थी; राज्य शासन से जवाब 22 अगस्त 2025 को प्राप्त हुए थे। इसके बाद

सचिव, खनिज संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के साथ एक निर्गम सम्मेलन 25 अगस्त 2025 को आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा की गई। शासन के उत्तरों को प्रतिवेदन में शामिल किया गया।

1.7 निधि की स्थिति

राज्य के सभी जिलों के खनन पट्टा धारकों से अंशदान के माध्यम से एकत्रित अंशदान निधि और न्यास निधि खाते में प्राप्त निधि की स्थिति का विस्तृत विवरण **तालिका-1.1** में दिया गया है।

तालिका1.1: निधियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अंशदान निधि में प्राप्ति	न्यास निधि में अंतरित राशि	कुल उपलब्ध न्यास निधि	न्यास निधि से व्यय	न्यास निधि में अव्ययित शेष राशि	व्यय का प्रतिशत
2015-16	266.72	150.94	150.94	0	150.94	0
2016-17	1279.18	876.63	1027.57	707.11	320.46	69
2017-18	1133.69	1481.82	1802.28	1304.48	497.80	72
2018-19	1233.89	1061.56	1559.36	1171.19	388.17	75
2019-20	1365.83	1345.12	1733.29	747.96	985.33	43
2020-21	1466.30	1269.10	2254.43	1170.91	1083.52	52
2021-22	2198.77	2262.17	3345.69	1503.68	1842.01	45
2022-23	2055.31	2008.24	3850.25	2060.57	1789.68	54
2023-24	2101.96	1915.35	3705.03	1587.32	2117.71	43
कुल	**13101.65**	**12370.93**	**3705.03**	**10253.22**	**2117.71**	**83**

(स्रोत: संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर)

2015-16 से 2023-24 के दौरान, खनन पट्टा धारकों से ₹ 13,101.65 करोड़ की अंशदान निधि एकत्र की गई और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य के सभी जिलों के न्यासों के न्यास निधि खातों में ₹ 12,370.93 करोड़ की राशि अंतरित की गई, जिसमें से ₹ 10,253.22 करोड़ प्रबंधकारिणी समितियों द्वारा विभिन्न कार्यों/गतिविधियों के लिए आवंटित किए गए।

न्यास निधि से प्राप्तियों और व्यय का जिलावार विवरण नीचे दिए गए हीट मैप में दर्शाया गया है।

न्यास निधि में जिला-वार कुल प्राप्ति (₹ करोड़ मे)

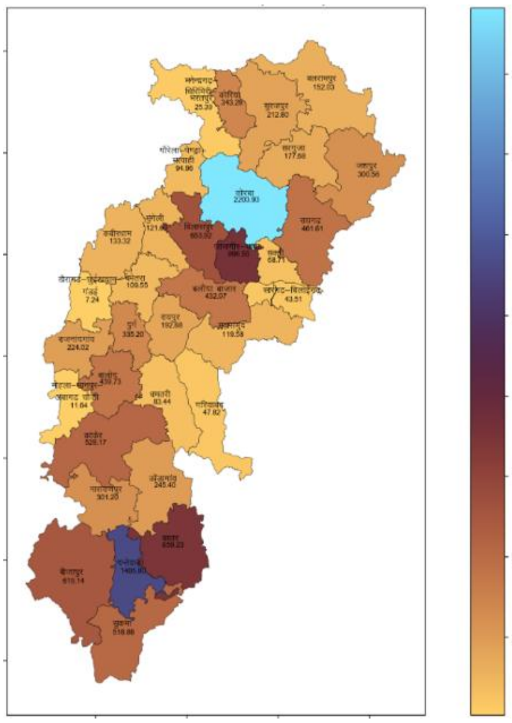

न्यास निधि से जिला-वार कुल व्यय (₹ करोड़ में)

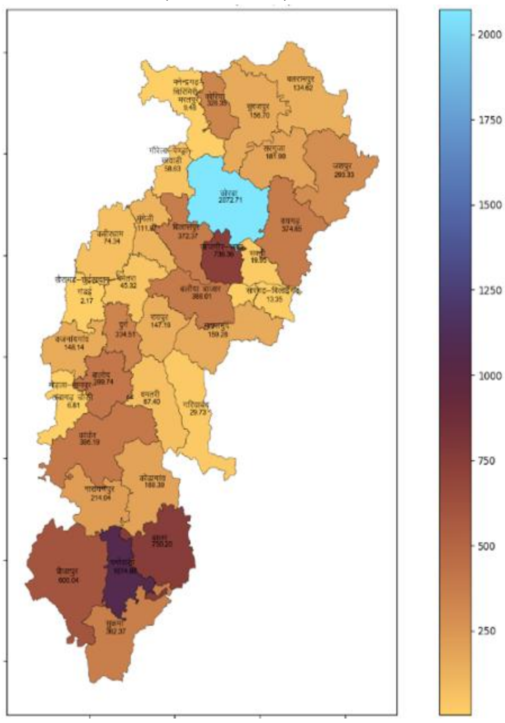

इसके अतिरिक्त, 33 जिलों में से नमूना लिए गए 12 जिलों के न्यासों ने अंशदान निधि के रूप में ₹ 6,391.22 करोड़ की राशि एकत्रित की। न्यास निधि में ₹ 6,150.42 करोड़ की राशि अंतरित की गई, जिसमें से ₹ 4870.19 करोड़ का उपयोग मार्च 2024 तक 35,754 कार्यों और गतिविधियों के निष्पादन के लिए किया गया, जैसा कि **चार्ट 1.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3: नमूनाकृत जिला खनिज संस्थान न्यास द्वारा अंशदान निधि और न्यास निधि की प्राप्तियां और आवंटित निधि (₹ करोड़ में)

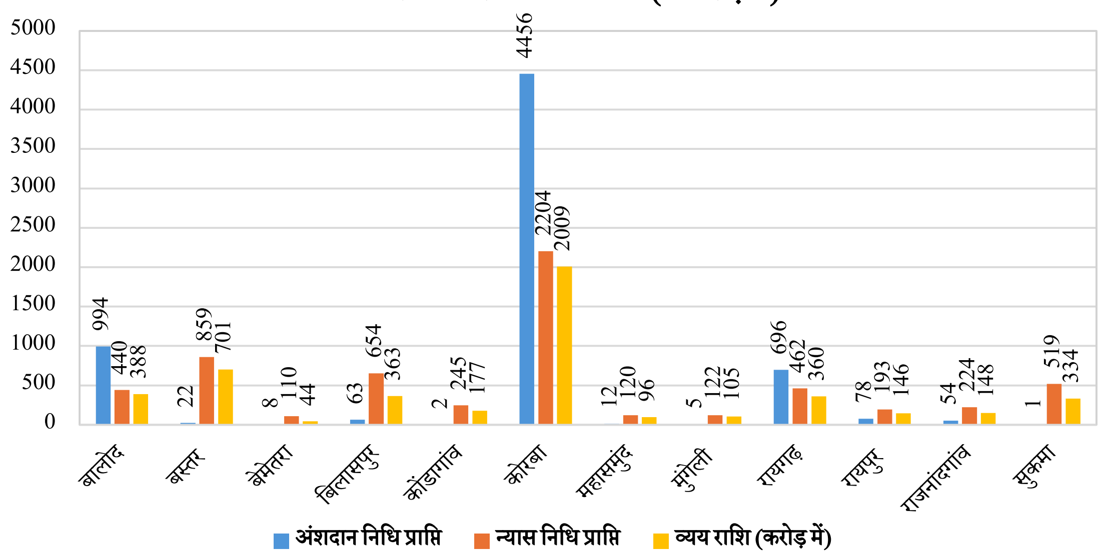

अध्याय-II

अंशदान निधि का संग्रहण एवं प्रबंधन

अध्याय-II

अंशदान निधि का संग्रहण एवं प्रबंधन

2.1 जिला खनिज निधि के अंतर्गत प्राप्तियों का आकलन, मांग एवं संग्रह

2.1.1 निधि संग्रहण के लिए रूपरेखा

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 15 और 19 में यह प्रावधान है कि जिले में खनन पट्टाधारकों से एकत्रित अंशदान निधि का रखरखाव न्यास की प्रबंधकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा। प्रबंधकारिणी समिति को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार और व्यवस्थापक द्वारा निर्धारित तरीके से संबंधित पट्टाधारकों से अंशदान निधि की समय पर वसूली सुनिश्चित करनी चाहिए। अंशदान निधि के लेखा-पुस्तकों का संधारण प्रबंधकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ राज्य शासन और संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा जारी निर्देशों (नवंबर 2015 और दिसंबर 2015) के अनुसार, प्रत्येक रॉयल्टी के साथ जिला खनिज संस्थान अंशदान का भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कलेक्टर (खनिज) के पास निहित थी। इसके अतिरिक्त, निर्देशों में राष्ट्रीयकृत बैंकों में दो अलग-अलग बैंक खाते खोलने का भी प्रावधान था, अर्थात्: (i) अंशदान भुगतान प्राप्त करने और प्रबंधन के लिए जिला अंशदान निधि खाता, (ii) व्यय करने के लिए जिला न्यास निधि खाता और, प्रत्येक पट्टा धारकों द्वारा अंशदान निधि खाते में जिला खनिज संस्थान अंशदान का भुगतान सुनिश्चित करना।

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 19 के अनुसार, प्रबंधकारिणी समिति को अंशदान निधि के लेखा-पुस्तकों का संधारण करना चाहिए। केवल बालोद जिले में न्यास द्वारा अंशदान निधि का रोकड़ बही संधारित किया जा रहा था और शेष 11 जिलों में, न्यासों ने रोकड़ बही/अन्य कोई लेखा-पुस्तक संधारित नहीं किया। इसी प्रकार, अंशदान निधि की निगरानी के लिए विस्तृत वर्गीकरण रजिस्टर केवल बस्तर, कोरबा और रायगढ़ के जिला खनिज अधिकारी द्वारा संधारित किया गया था और शेष नौ[1] जिलों में, जिला खनिज अधिकारी ने विस्तृत वर्गीकरण रजिस्टर संधारित नहीं किया। इन अभिलेखों के संधारित नहीं होने के कारण, गौण खनिजों पर पट्टेदारों द्वारा देय और भुगतान की गई रॉयल्टी के विरुद्ध प्राप्त होने वाली पट्टावार अंशदान निधि का पता नहीं लगाया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मुख्य खनिजों के लिए पारगमन पास रॉयल्टी और जिला खनिज संस्थान अंशदान के भुगतान होने के बाद 'खनिज ऑनलाइन पोर्टल' के माध्यम से जारी किए जा रहे थे। हालांकि, गौण खनिजों के लिए, जिला खनिज अधिकारी, पट्टेदारों द्वारा पारगमन पासबुक की लागत और परिवहन किए जाने वाले खनिजों पर देय रॉयल्टी के लिए भुगतान किए गए मूल चालान के साथ फॉर्म-2 में जमा किए गए आवेदन के आधार पर हस्तलिखित पारगमन पास जारी

[1] बालोद, बेमेतरा, बिलासपुर, कोंडागांव, महासमुंद, मुंगेली, रायपुर, राजनांदगांव एवं सुकमा

करते हैं। पट्टेदार द्वारा न्यास के निर्दिष्ट बैंक खाते में जिला खनिज संस्थान अंशदान का भुगतान करते हैं और बैंक रसीद की प्रति अलग से संबंधित जिला खनिज अधिकारी को जमा करते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पारगमन पास जारी करते समय रॉयल्टी के साथ पट्टा धारकों द्वारा जिला खनिज संस्थान अंशदान का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए फॉर्म-2 में कोई कॉलम नहीं था। चूंकि पट्टा धारकों को रॉयल्टी के साथ अंशदान का भुगतान करना आवश्यक है, इसलिए फॉर्म-2 को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पारगमन पास जारी करने से पहले जिला खनिज संस्थान अंशदान का भुगतान किया गया था।

फॉर्म-2 में रॉयल्टी के साथ जिला खनिज संस्थान अंशदान के भुगतान के लिए कॉलम का न होना, पारगमन पास जारी होने से पहले, पट्टेदार द्वारा अंशदान का भुगतान न करने के जोखिम को बढ़ा देता है।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2025) के दौरान यह बताया गया कि मुख्य खनिजों के लिए, प्रत्येक रॉयल्टी के साथ जिला खनिज संस्थान अंशदान के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए खनिजऑनलाइन पोर्टल वर्ष 2018-19 से उपयोग में है। गौण खनिज संपदाओं के लिए, विभाग जल्द ही खनिजऑनलाइन 2.0 पोर्टल लागू करेगा। यह भी बताया गया कि यद्यपि जिला खनिज अधिकारी पट्टेदार-वार रॉयल्टी प्राप्तियों का अभिलेख नहीं रखते हैं, उन्हें पहले ही निर्देश दिया जा चुका था कि पारगमन पास जारी करते समय प्रत्येक रॉयल्टी के साथ जिला खनिज संस्थान अंशदान का भुगतान सुनिश्चित किया जाए और वे इसका अनुपालन कर रहे हैं।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि फॉर्म-2 में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

2.2 बजट बनाना एवं वित्तीय प्रबंधन

2.2.1 वार्षिक बजट और वार्षिक कार्य योजना तैयार न करना

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 12 (2) और 15 (5) के अनुसार, प्रबंधकारिणी समिति न्यास की वार्षिक कार्य योजना और वार्षिक बजट के साथ-साथ प्रस्तावित योजनाओं और परियोजनाओं का समन्वय, समेकन और विकास करेगी। प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई न्यास की वार्षिक कार्य योजना और वार्षिक बजट को शासी परिषद द्वारा अनुमोदित करने की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा यह भी प्रावधान किया गया कि पिछली देनदारियों और प्रतिबद्धताओं और प्रस्तावित नई योजनाओं का कुल योग किसी भी स्थिति में अगले वित्तीय वर्ष के लिए न्यास निधि में अपेक्षित आवक के तीन गुना से अधिक नहीं होना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित किए गए 12 जिलों में, प्रबंधकारिणी समिति ने छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 द्वारा अनिवार्य वार्षिक कार्य योजना और वार्षिक बजट तैयार नहीं किया और न्यास स्थापना के बाद से कुल ₹6,150.42 करोड़ की प्राप्तियों में से ₹4,870.19 करोड़ (79.18 प्रतिशत) का उपयोग बिना किसी बजटीय ढांचे के किया।

प्रबंधकारिणी समिति कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रस्तावित कार्यों और गतिविधियों की एक सूची शासी परिषद को प्रस्तुत करती है। अनुमोदन प्राप्त होने पर, प्रबंधकारिणी समिति प्रशासकीय

स्वीकृति जारी करती है। बजटीय ढांचे के बिना न्यासों द्वारा निधियों का उपयोग वित्तीय अनुशासन की कमी, व्यय को प्राथमिकता देने में असमर्थता, स्पष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों की कमी और योजना की कमी का कारण बन सकता है।

इसके अलावा, वार्षिक कार्य योजना और बजट तैयार न होने के कारण, इन्हें जिला पंचायत और जिला प्रशासन को संबंधित वेबसाइटों पर प्रकाशन के लिए नहीं भेजा गया, जैसा कि छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 25 के तहत आवश्यक है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, यह कहा गया था कि नए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना दिशानिर्देश, 2024 के अनुसार इस संबंध में कुछ संशोधन प्रस्तावित हैं।

संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए, न्यास के निधि को अनुमोदित वार्षिक बजट और स्पष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों वाली वार्षिक कार्य योजना के आधार पर खर्च किया जाना चाहिए।

2.2.2 *अंशदान निधि का राज्य स्तरीय जिला खनिज संस्थान प्रकोष्ठ में अनियमित अंतरण*

संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ ने नवंबर 2019 में गठित राज्य स्तरीय जिला खनिज संस्थान प्रकोष्ठ को कार्यालय के बुनियादी ढांचे/संस्थापना/वाहन/स्टेशनरी आदि पर वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था के व्यय को पूरा करने के लिए जिलों के अंशदान निधि से 0.25 प्रतिशत राशि हस्तांतरित करने का निर्देश दिया (फरवरी 2020)।

हालाँकि, भारत सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9बी की उपधारा (3) के प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया (12 जुलाई 2021) कि जिला खनिज संस्थान से राज्य के खजाने या राज्य स्तरीय निधि में किसी भी तरह से धन हस्तांतरित न किया जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारत सरकार के जिला खनिज संस्थान निधि को राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ में अंतरित न किये जाने के स्पष्ट निर्देश के बावजूद न्यासों द्वारा जुलाई 2021 के बाद राज्य स्तरीय जिला खनिज संस्थान प्रकोष्ठ में ₹1.68 करोड़ (बालोद: ₹0.42 करोड़; बिलासपुर: ₹0.03 करोड़ और कोरबा: ₹1.23 करोड़) अंतरित किए गए।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2024 तक राज्य स्तरीय जिला खनिज संस्थान प्रकोष्ठ के खातों में ₹10.82 करोड़ की राशि शेष थी, जिसे न्यासों को वापस नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, राज्य शासन ने कहा कि (अगस्त 2025) भारत सरकार के 12 जुलाई 2021 के पत्र के अनुसार, राज्य शासन ने 1 अप्रैल 2022 को न्यासों को आगे कोई धनराशि हस्तांतरित न करने का निर्देश दिया था, जिसे राज्य स्तरीय निगरानी समिति ने 25 सितंबर 2022 को अनुमोदित किया था। 1 अप्रैल 2022 के बाद जिलों से प्राप्त राशि 31 मार्च 2022 से पहले की अवधि से संबंधित थी।

तथ्य यह है कि राज्य स्तरीय जिला खनिज संस्थान प्रकोष्ठ के पास शेष ₹10.82 करोड़ की राशि अभी तक न्यासों को वापस नहीं की गई है।

2.2.3 बैंकिंग व्यवस्था

राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश (नवंबर 2015) के अनुसार, 12 चयनित जिलों में न्यासों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों में दो अलग-अलग बैंक खाते खोले गए थे, अर्थात्, (i) अंशदान प्राप्त करने और प्रबंधित करने के लिए जिला अंशदान निधि खाता और (ii) राज्य स्तरीय निगरानी समिति द्वारा प्रदान किए गए अंशदान हिस्से को प्राप्त करने और प्रबंधित करने के लिए जिला न्यास निधि खाता। इन खातों का संचालन अध्यक्ष (जिला कलेक्टर) और प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य-सचिव (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा था।

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 15(8) के अनुसार, न्यास की प्रबंधकारिणी समिति निधि का निवेश सावधानीपूर्वक करेगी। इसके अतिरिक्त, उक्त नियमों के नियम 22(9) के अनुसार, न्यास को सतत आजीविका प्रदान करने के लिए वार्षिक प्राप्तियों की एक उचित राशि बंदोबस्ती निधि के रूप में रखनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि चयनित 12 जिलों में, संबंधित जिला खनिज संस्थान न्यास द्वारा सतत आजीविका के लिए कोई अलग बंदोबस्ती निधि स्थापित और अनुरक्षित नहीं की गई है। अंशदान निधि और न्यास निधि के अंतर्गत प्राप्त संपूर्ण धनराशि बचत बैंक खातों में रखी गई थी। इसके अलावा, किसी भी जिला खनिज संस्थान न्यास ने बचत बैंक खातों के लिए उपलब्ध ऑटो स्वीप/फ्लेक्सी जमा/मल्टी ऑप्शन जमा खाता सुविधा का विकल्प नहीं चुना, जो बैंक को ग्राहक के बचत बैंक खाते में एक निश्चित न्यूनतम शेष राशि से अधिक राशि को प्रचलित उच्च ब्याज दरों पर सावधि जमा में स्वचालित रूप से परिवर्तित करने की अनुमति देता है, जिसके परिणामस्वरूप अंशदान और न्यास निधि दोनों के बैंक खातों में कम ब्याज दरें प्राप्त हुईं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना लिए गए पांच[2] जिलों के न्यासों ने 2023-24 के दौरान अपने अंशदान निधि खातों में औसतन न्यूनतम शेष ₹19.27 करोड़ (बेमेतरा) से लेकर ₹117.40 करोड़ (कोरबा) तक बनाए रखी है।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, राज्य शासन ने कहा (अगस्त 2025) कि जिला खनिज संस्थान न्यास एक गैर-लाभकारी संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है, संबंधित खाते में जमा राशि पर ब्याज अर्जित करना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। प्राथमिकता न्यास द्वारा अनुमोदित कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करना है, जिसमें राशि का नियमित भुगतान किया जाता है, जो एक सतत प्रक्रिया है। ऐसी स्थिति में, न्यास की राशि को केवल बचत खाते में रखना ही उचित है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि न्यासों ने वार्षिक बजट और कार्य योजना तैयार नहीं की थी जिससे वित्तीय वर्ष में अपेक्षित प्राप्तियों और व्यय का आकलन करके उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके और यदि कोई अधिशेष निधि हो तो उसका निवेश किया जा सके। यद्यपि ब्याज अर्जित करना मुख्य उद्देश्य नहीं है, फिर भी स्वीप/फ्लेक्सी जमा सुविधा बैंक द्वारा सभी

---

[2] बालोद: ₹ 20.52 करोड़, बेमेतरा: ₹ 19.27 करोड़, कोरबा: ₹ 117.40 करोड़, महासमुंद: ₹ 30.31 करोड़ एवं रायगढ़: ₹ 37.72 करोड़

बचत खाताधारकों को प्रदान की जाने वाली एक अतिरिक्त सेवा है जिसका लाभ बिना किसी अतिरिक्त प्रयास और लागत के उठाया जा सकता है।

न्यास को बचत बैंक खाते में ऑटो स्वीप/मल्टी आप्शन डिपॉजिट सुविधा का विकल्प चुनना चाहिए और हस्तांतरण और व्यय के बाद अधिशेष अंशदान और न्यास निधि का निवेश वित्तीय विवेक के लिए सावधानीपूर्वक निवेश करना चाहिए।

2.2.4 खातों को अंतिम रूप देना और न्यासों की लेखापरीक्षा

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 25 में निर्धारित प्रावधान के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की सूची में से शासी परिषद द्वारा नियुक्त योग्य लेखापरीक्षक द्वारा न्यास के खातों की कम से कम एक वर्ष पूरा होने पर लेखापरीक्षा किया जाना चाहिए।

न्यास वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन महीने के भीतर शासी परिषद से अनुमोदन के तुरंत बाद अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन और अनुमोदित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जिला पंचायत और राज्य शासन को उनकी संबंधित वेबसाइटों पर उनके प्रकाशन के लिए अग्रेषित करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि न्यासों के खातों के लेखापरीक्षा में उनकी स्थापना (2015-16) के बाद के शुरुआती वर्षों में देरी हुई थी, जिसे हाल के वर्षों में न्यासों द्वारा धीरे-धीरे सुव्यवस्थित किया गया है, जैसा कि **चार्ट 2.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1: न्यासों के लेखाओं और लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देने में विलंब

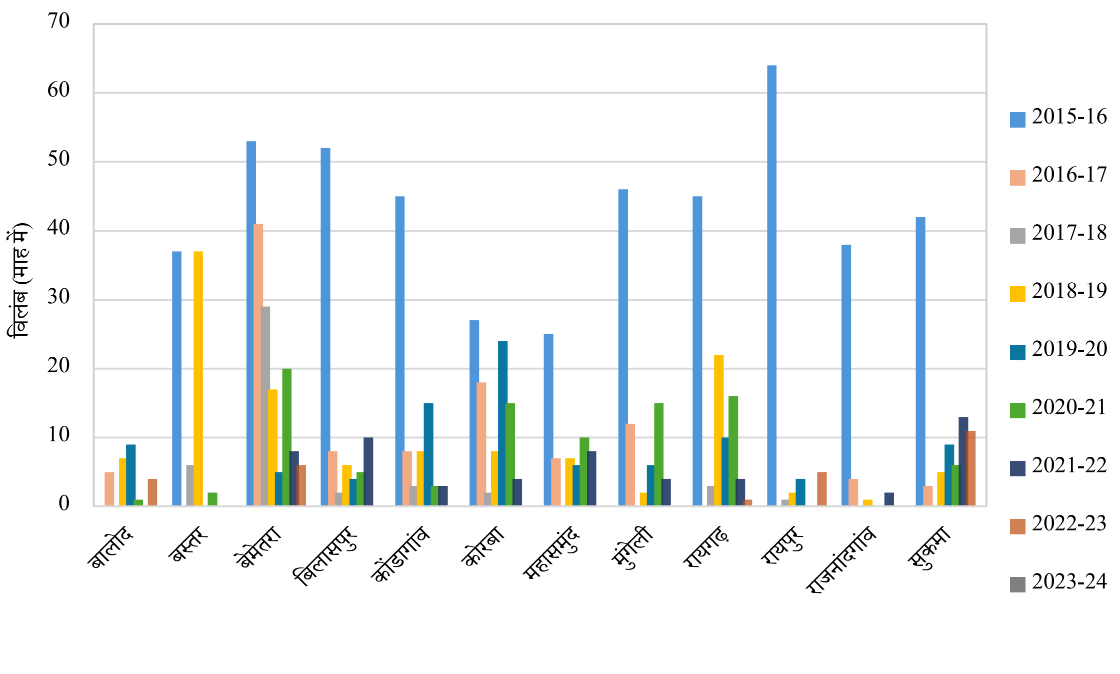

जून 2025 तक, पांच न्यासों (बस्तर, महासमुंद, मुंगेली, रायपुर और राजनांदगांव) के खातों की लेखापरीक्षा 2023-24 तक की गई थी, जबकि छह न्यासों (बालोद, बेमेतरा, बिलासपुर, कोंडागांव, रायगढ़ और सुकुमा) में, खातों की लेखापरीक्षा 2022-23 तक पूरी हो गई थी और एक न्यास (कोरबा) के खातों की लेखापरीक्षा 2021-22 तक किया गया था।

इसके अलावा, न्यासों ने कभी भी नियमों में निर्धारित वार्षिक प्रतिवेदन तैयार नहीं की और अनुमोदित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को जिला पंचायतों और राज्य शासन को उनकी संबंधित वेबसाइटों पर प्रकाशन के लिए अग्रेषित करने में विफल रहे।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, यह कहा गया था (अगस्त 2025) कि न्यासों के गठन के प्रारंभिक वर्षों में, देरी मुख्य रूप से न्यासों में पर्याप्त मानव संसाधन की कमी के कारण हुई थी।

न्यासों की वार्षिक प्रतिवेदन समय पर तैयार की जानी चाहिए और लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के साथ सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए राज्य शासन को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

2.2.5 सामाजिक लेखापरीक्षा

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 12 (3) और 3 (अ) के अनुसार, शासी परिषद ग्राम सभा में न्यास निधि से निष्पादित विकासात्मक योजनाओं/कार्यों की सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगी। सामाजिक लेखापरीक्षा उन सूचीबद्ध एजेंसियों द्वारा की जाएगी जो राज्य शासन द्वारा मनरेगा और राज्य में अन्य कल्याणकारी योजनाओं/परियोजनाओं में सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए अधिकृत हैं और शासी परिषद द्वारा अनुमोदित हैं।

सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण प्रभावित क्षेत्र की आवश्यकताओं की पहचान से संबंधित होगा और दूसरा चरण किए गए प्रासंगिक कार्यों के कार्यान्वयन और गुणवत्ता से संबंधित होगा।

न्यासों के कलेक्टर-सह-अध्यक्ष द्वारा जारी प्रशासकीय स्वीकृतियों में, कार्यान्वयन एजेंसियों को छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियमों के तहत निर्धारित सामाजिक लेखापरीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 12 चयनित जिलों में, न्यासों ने स्थापना (2015-16) के बाद से न्यास निधि से निष्पादित कार्यों और गतिविधियों का कभी भी सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं किया।

न्यासों ने स्वीकृति आदेशों के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को सामाजिक लेखापरीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन उनके कार्यों और गतिविधियों की सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने में विफल रहे। हालांकि, कार्यान्वयन एजेंसियों ने भी सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं करवाई और न्यास भी निधि की मंजूरी की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहा।

चूंकि सामाजिक लेखापरीक्षाएं कार्यक्रम की प्रभावशीलता और परिणामों का आकलन करती हैं, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाती हैं और लाभार्थियों सहित हितधारकों को संसाधन उपयोग और उद्देश्य प्राप्ति के बारे में सूचित करती हैं, इसलिए न्यासों द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षाएं

आयोजित करने में विफलता के कारण योजना कार्यान्वयन में पारदर्शिता की कमी, कमजोर जवाबदेही और निगरानी और मूल्यांकन में लाभार्थियों की सीमित भागीदारी हुई।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2025) के दौरान, सामाजिक लेखापरीक्षा को जल्द से जल्द आयोजित करने पर सहमति बनी।

2.2.6 न्यास निधि का विचलन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर पालिका निगम, बिलासपुर ने शासी परिषद से अनुमोदन प्राप्त किए बिना 'बिलासपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड के विकास' के लिए उन्हें आवंटित (03 अप्रैल 2017) ₹ 2.13 करोड़ के न्यास निधि को, निगम क्षेत्र में अन्य कार्यों जैसे सामुदायिक भवन, चबूतरा और शेड का निर्माण आदि के निष्पादन के लिए विचलित किया। बिलासपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड के विकास का कार्य छत्तीसगढ़ शासन के शहरी प्रशासन और विकास विभाग द्वारा स्वीकृत (अप्रैल 2017) निधि से पूरा किया गया। हालाँकि, जिला खनिज संस्थान न्यास, बिलासपुर से प्राप्त निधि को वापस नहीं किया गया और न्यास भी धन के उपयोग की निगरानी करने में विफल रहा।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, नगर पालिका निगम, बिलासपुर द्वारा प्रदान की गई जानकारी राज्य शासन द्वारा अग्रेषित की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि 2016-17 के दौरान, ₹ 2.13 करोड़ की राशि दो किश्तों में प्राप्त की गई थी और पूरी तरह से उसी उद्देश्य के लिए खर्च की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिला खनिज संस्थान न्यास से प्राप्त धन का उपयोग उस उद्देश्य पर नहीं किया गया था जिसके लिए इसे मंजूरी दी गई थी।

2.2.7 कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अर्जित ब्याज की वापसी न करना

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 20 के अनुसार, न्यास निधि की जमा राशि पर अर्जित ब्याज न्यास निधि का हिस्सा होना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रबंधकारिणी समिति कार्यों के निष्पादन हेतु कार्यान्वयन एजेंसियों को अग्रिम रूप से धनराशि आवंटित करती है, जिसे वे अपने बैंक खातों में रखते हैं और कार्य प्रगति के अनुसार उपयोग करते हैं। हालांकि, कार्यान्वयन एजेंसियों ने इन खातों में अव्ययित शेष राशि पर अर्जित ब्याज को न्यास निधि खाते में स्थानांतरित नहीं किया है।

लेखापरीक्षा जांच के परिणामस्वरूप, बस्तर जिले की चार[3] और बिलासपुर जिले की एक[4] कार्यान्वयन एजेंसी ने न्यास निधि में ₹ 47.94 लाख की राशि जमा की, जबकि महासमुंद जिले में छह[5] कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अर्जित ₹ 15.64 लाख की राशि अभी तक (सितंबर 2025)

---

3 जनपद पंचायत: बकावंड और लोहांडीगुडा; सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, बस्तर एवं अनुभागीय अधिकारी , लाइट मशीनरी, ट्यूबवेल और गेट मंडल (एलएमटीडब्ल्यूडी), जगदलपुर

4 बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड

5 जनपद पंचायत: महासमुंद, सरायपाली, पिथौरा एवं बसना; सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, महासमुंद एवं जिला शिक्षा अधिकारी, महासमुंद

न्यास निधि खाते में जमा नहीं की गई थी। शेष 12 न्यासों की कार्यान्वयन एजेंसियां लेखापरीक्षा द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद अपने बैंक खातों में अर्जित ब्याज का विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहीं। इस प्रकार, न्यासों को सभी कार्यान्वयन एजेंसियों से शेष ब्याज राशि एकत्र करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, न्यासों ने कार्यान्वयन एजेंसियों से अर्जित ब्याज एकत्र करने पर सहमति व्यक्त की, जिसके लिए वे प्रयास कर रहे हैं और कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्देश जारी किए हैं।

अध्याय-III

जिला खनिज संस्थान न्यास से कार्यों/परियोजनाओं का कार्यान्वयन

अध्याय-III

जिला खनिज संस्थान न्यास से कार्यों/परियोजनाओं का कार्यान्वयन

3.1 परियोजना नियोजन एवं संस्थागत व्यवस्था

न्यास को खनन या खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए उस प्रकार से कार्य करना चाहिए जैसा कि छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में निर्दिष्ट है। न्यास की शासी परिषद न्यास के संचालन की प्रक्रिया निर्धारित करने और उसे अनुमोदित करने तथा न्यास के कामकाज की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगी।

लेखापरीक्षा के दौरान न्यासों के कामकाज में योजना और संस्थागत ढ़ांचे/व्यवस्थाओं में पाई गई कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

3.1.1 प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के साथ जिला खनिज संस्थान न्यास नियमों की गैर-अनुरूपता

भारत सरकार, खान मंत्रालय ने राज्य सरकारों को प्रत्येक जिले में एक जिला खनिज संस्थान अधिसूचित और स्थापित करने तथा राज्य सरकारों द्वारा जिला खनिज संस्थान के लिए बनाए गए नियमों में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना दिशानिर्देशों को शामिल करने और योजना को लागू करने का निर्देश दिया है।

खनन संबंधी गतिविधियां मुख्य रूप से देश के कम विकसित और बहुत दूरदराज के क्षेत्रों और आबादी के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करती हैं। इसलिए, यह विशेष रूप से आवश्यक है कि संगठित और संरचित तरीके से विशेष देखभाल और ध्यान दिया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन क्षेत्रों और प्रभावित व्यक्तियों को उनके क्षेत्रों में मौजूद खनिज संपदा से लाभ मिले और वे अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सशक्त हों।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने तदनुसार प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना तैयार किया है, जिसे जिला खनिज संस्थान द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत उन्हें प्राप्त होने वाली निधियों से लागू किया जाएगा।

जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, 2015 के बीच की उन विसंगतियों पर नीचे चर्चा की गई है, जिनके कारण खनन से प्रभावित समुदायों को लाभ पहुंचाने में बाधा उत्पन्न हुई:

(क) 'प्रभावित व्यक्तियों' की पहचान और प्रभावित व्यक्तियों/स्थानीय समुदायों की सूची का संधारण नहीं करना

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के दिशानिर्देशों (सितंबर 2015) के अनुसार, प्रभावित लोगों में 'प्रभावित परिवार' और 'विस्थापित परिवार' शामिल होने चाहिए, जैसा कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम,

2013 की धारा 3(सी) और 3(के) के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, संबंधित ग्राम सभा द्वारा उचित रूप से पहचाने गए कोई अन्य व्यक्ति, जिनमें खनन की जा रही भूमि पर कानूनी और व्यावसायिक अधिकार रखने वाले लोग और उपयोग का अधिकार और पारंपरिक अधिकार रखने वाले लोग शामिल हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 को तैयार करते समय, 'प्रभावित व्यक्तियों' की परिभाषा को संशोधित और विस्तारित किया गया था ताकि इसमें प्रभावित और विस्थापित परिवारों, जिनकी भूमि प्रभावित क्षेत्र से अधिग्रहित/स्थानांतरित कर दी गई है या जिनकी आजीविका का प्राथमिक स्रोत भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित हुआ है, के अतिरिक्त प्रभावित क्षेत्रों में रहने या काम करने वाले सभी लोगों को भी शामिल किया जा सके।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र में किसी खदान या खदानों के समूह में ऐसी परिधि के भीतर का क्षेत्र शामिल है, जैसा कि राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, भले ही यह संबंधित जिले या पड़ोसी जिले के अंतर्गत आता हो। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य शासन ने प्रभावित क्षेत्रों के भीतर आस-पास के जिलों को घोषित करने के लिए कोई परिधि निर्दिष्ट नहीं की थी।

परिणामस्वरूप, इस व्यापक परिभाषा ने बिना किसी विशिष्ट सीमा के सभी जिलों के सभी क्षेत्रों और व्यक्तियों को शामिल कर लिया । लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिला खनिज संस्थान ने प्रभावित व्यक्तियों/स्थानीय समुदायों की पहचान और सूची तैयार नहीं की। प्रभावित व्यक्तियों/स्थानीय समुदायों की पहचान न होने से प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का प्रभावी कार्यान्वयन भी बाधित होता है, जो वांछित परिणामों और प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन को रोकती है।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि न्यासों द्वारा 12 चयनित जिलों में विभिन्न हितग्राही-उन्मुख योजनाओं/कार्यों के लिए ₹709.47 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। इन कार्यों में किसानों को शेड-नेट, कृषि उपकरण और औजारों का मुफ्त वितरण, निजी ट्यूबवेल की खुदाई, मछली पकड़ने के जाल का मुफ्त वितरण और छात्रों को कोचिंग व ट्यूशन शुल्क का वितरण आदि शामिल थे। यह आवंटन एक बड़े समुदाय के लिए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना दिशानिर्देशों और छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में परिकल्पित 'प्रभावित व्यक्तियों' की पहचान किए बिना किया गया, जो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना और जिला खनिज संस्थान न्यास के उद्देश्य को विफल करती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य शासन ने दंतेवाड़ा जिले में खानों के समूह के नजदीक अवस्थित होने के कारण सुकमा जिले को प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। हालांकि, जून 2025 तक कलेक्टर द्वारा सुकमा जिले के भीतर प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गांवों की सूची घोषित नहीं की गई थी। बिलासपुर और सुकमा के कलेक्टर ने लेखापरीक्षा को सूचित किया कि इन दोनों जिलों में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना दिशानिर्देशों के तहत परिभाषित 'प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति/परिवार' नहीं हैं। हालांकि, इन दोनों जिलों में न्यासों ने ग्रामीणों के बीच वस्तुओं की खरीद और मुफ्त वितरण के लिए ₹106.94 करोड़ कार्यान्वयन एजेंसियों को आवंटित किए।

लेखापरीक्षा ने छह जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास निधियों से स्वीकृत ₹28.11 करोड़ की मुफ्त वितरण गतिविधियों के 30 मामलों की जांच की **(परिशिष्ट 3.1)** और पाया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच मुफ्त वितरण, खनन क्षेत्रों में खनन से प्रभावित लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाए गए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, 2015 के उद्देश्यों के अनुरूप, लाभार्थियों के चयन मानदंड निर्धारित किए बिना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा यादृच्छिक रूप से किया गया था।

'प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों' की पहचान न करना और न्यास निधि से हितग्राही-उन्मुख गतिविधियाँ चलाना, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को दीर्घकालिक स्थायी आजीविका के लक्ष्य को प्राप्त करने और खनन गतिविधियों से प्रभावित लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में भी बाधा डालता है।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2025) के दौरान, यह कहा गया कि विभाग द्वारा मौजूदा जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, 2024 के अनुसार और लेखापरीक्षा बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है, जिसे अधिसूचना के लिए प्रस्तुत किया जाना है।

यद्यपि राज्य शासन ने 'प्रभावित व्यक्तियों' के दायरे में 'प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले या काम करने वाले लोगों' को हटाते हुए संशोधनों (12 सितंबर 2025) को अधिसूचित कर दिया, हालाँकि, जिला खनिज संस्थान न्यास द्वारा उनकी पहचान के बाद प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों की सूची अभी तक तैयार नहीं की गई है।

(ख) राज्य विधानसभा के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना दिशानिर्देश, 2015 के अनुच्छेद 7 के अनुसार, प्रत्येक जिला खनिज संस्थान न्यास की वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष रखी जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य शासन ने 2015 में छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम बनाते समय इस प्रावधान को छोड़ दिया था।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2025) के दौरान, यह बताया गया कि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, 2024 के अनुसार और लेखापरीक्षा बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मौजूदा जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है, जो अधिसूचना के लिए अपेक्षित है।

चूंकि राज्य शासन ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के नियमों में संशोधन किया है, इसलिए जिला खनिज संस्थान न्यास को बिना किसी देरी के वार्षिक प्रतिवेदन अपनी स्थापना के समय से ही राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए थी।

3.1.2 व्यापक/ मास्टर प्लान और दूरदर्शिता के अभाव के परिणामस्वरूप संसाधनों का असमान आवंटन

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 15 (3) में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, खनन या खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित क्षेत्र का समग्र विकास प्रबंधकारिणी

समिति द्वारा तैयार और शाषी परिषद द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना के अनुसार न्यास निधि से किया जाएगा। प्रबंधकारिणी समिति सर्वेक्षण के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार न्यास की गतिविधियों के लिए पंचवर्षीय मास्टर प्लान/विजन दस्तावेज तैयार करेगी और इसे शासी परिषद द्वारा अनुमोदित की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 15 (4) से (7) के अनुसार, प्रबंधकारिणी समिति कार्यान्वयन एजेंसियों, जैसे कि ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों, जिला पंचायतों और जिले के शहरी स्थानीय निकाय, सरकारी विभाग और बोर्ड, निगम, राज्य/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि से प्रस्ताव/परियोजनाएं प्राप्त करेगी, उन्हें समेकित करेगी और वार्षिक योजना तैयार करेगी। इसके बाद, परियोजनाओं को स्वीकृति आदेश प्रदान करें, धनराशि जारी करें और इस उद्देश्य के लिए न्यास निधि का वितरण करें।

शामिल नहीं किये गए सीधे प्रभावित ग्रामों का प्रतिशत

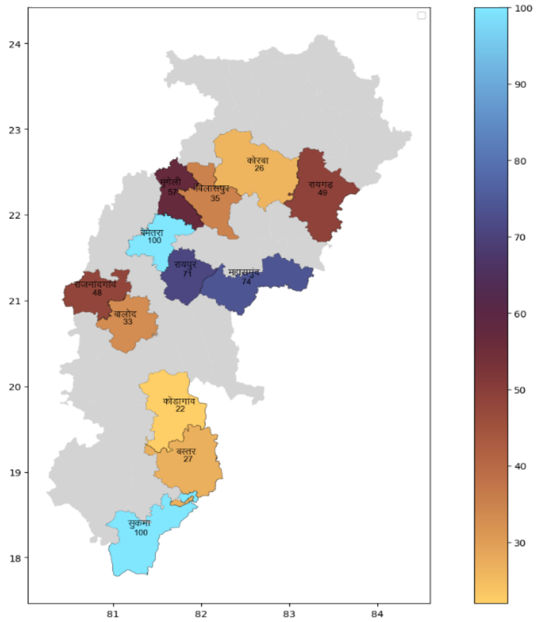

लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी 12 चयनित जिलों में, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत और न्यासों की प्रबंधकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों ने इन क्षेत्रों में पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए पर्याप्त औचित्य प्रदान नहीं किया और प्रभावित आबादी के लिए स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने में विफल रहे।

इसके अलावा, न्यासों ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को लागू करने के लिए सर्वेक्षण करने के बाद प्रभावित क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार मास्टर प्लान/विजन दस्तावेज तैयार नहीं किए। परिणामस्वरूप, मार्च 2024 तक कुल निधि का ₹ 4,536.58 करोड़ (81 प्रतिशत) इस्तेमाल करने के बावजूद, न्यास 11 चयनित जिलों में 980 (56 प्रतिशत) प्रत्यक्ष प्रभावित गांवों को ही कवर कर पाए, जबकि 754 (44 प्रतिशत) प्रत्यक्ष प्रभावित गांव ऐसे रह गए जिनमें जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से कोई गतिविधि लागू नहीं की गई। सुकमा जिले में, न्यास ने प्रत्यक्ष प्रभावित गांवों की पहचान किए बिना निधि का ₹ 333.61 करोड़ (64 प्रतिशत) इस्तेमाल किया, जैसा कि **तालिका 3.1** में विस्तार से बताया गया है।

तालिका 3.1: न्यास वार कवर नहीं किए गए 'प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित ग्राम'

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	जिला का नाम	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गांवों की संख्या	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कवर की गई गांवों की संख्या	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कवर नहीं की गई गांवों की संख्या (प्रतिशत)	कुल उपलब्ध न्यास निधि	उपयोग किए गए न्यास निधि (प्रतिशत)
1.	बालोद	318	213	105 (33)	439.73	388.36 (88)
2.	बस्तर	168	123	45 (27)	859.23	700.72 (82)
3.	बेमेतरा	12	0	12 (100)	109.55	44.19 (40)
4.	बिलासपुर	139	91	48 (35)	653.92	362.73 (55)
5.	कोंडागांव	09	07	02 (22)	245.40	176.80 (72)
6.	कोरबा	334	248	86 (26)	2203.93	2009.17 (91)
7.	महासमुंद	202	53	149 (74)	119.58	95.84 (80)
8.	मुंगेली	238	103	135 (57)	121.69	105.48 (87)
9.	रायगढ़	83	42	41 (49)	461.61	360.03 (78)
10.	रायपुर	131	38	93 (71)	192.88	145.57 (75)
11.	राजनंदगांव	100	62	38 (38)	224.02	147.69 (66)
	कुल	**1734**	**980**	**754 (44)**	**5631.54**	**4536.58 (81)**
12.	सुकमा	अभी तक पहचान नहीं किया गया			518.88	333.61 (64)
	सकल योग	**1734**	**980**	**754 (44)**	**6150.42**	**4870.19 (79)**

(स्रोत: न्यासों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ो से लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

इस प्रकार, न्यास वर्ष 2015-24 के दौरान जिला खनिज संस्थान न्यास निधियों के महत्वपूर्ण उपयोग (₹ 4870.19 करोड़) के बावजूद जांच किए गए 12 जिलों में सभी प्रत्यक्ष प्रभावित गांवों को संसाधनों और लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करने में विफल रहे।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2025) के दौरान, इस बात पर सहमति हुई कि भविष्य में पांच साल की योजना तैयार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

न्यास को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सर्वेक्षणों के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप एक व्यापक/मास्टर प्लान और विजन दस्तावेज तैयार किया जाए, जिससे संसाधनों के समान वितरण के लिए सभी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों को कवर किया जा सके।

खनन क्षेत्र के 10 से 20 किलोमीटर के दायरे में स्थित प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गांवों के नाम दर्शाने वाला भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मानचित्र, जिन पर न्यासों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया था, को **चित्र 3.1 से 3.6** में दर्शाया गया है।

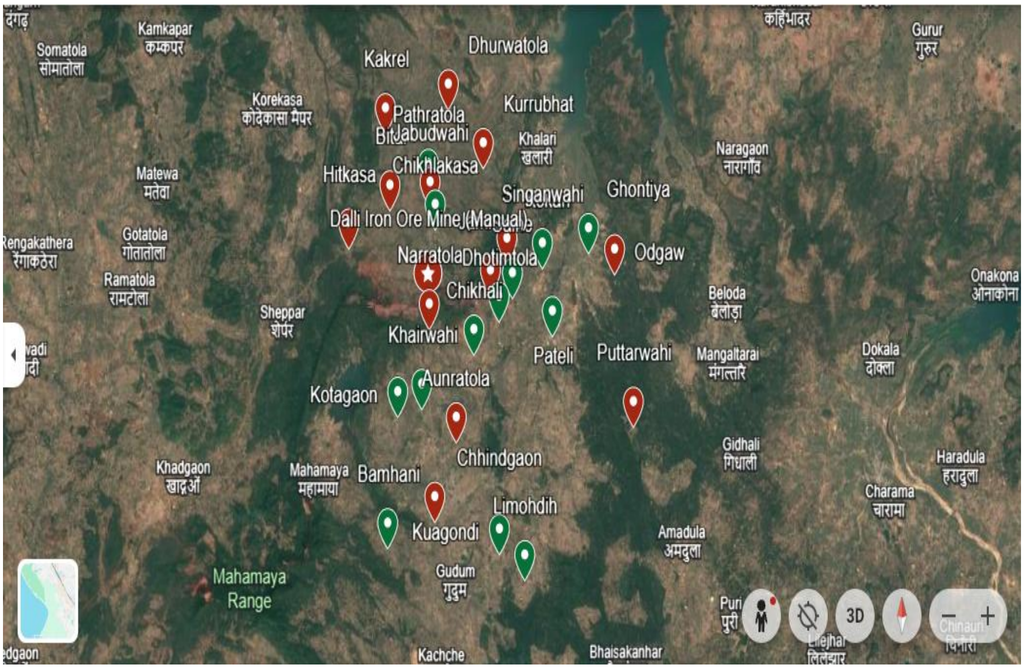

चित्र 3.1: बालोद जिले के डोंडी जनपद में 13 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित ग्रामों (लाल रंग में प्रतिबिंबित) के नाम दर्शाने वाला भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्र, जो दल्ली लौह अयस्क खानों (नीले रंग में प्रतिबिंबित) के 15 किलोमीटर के दायरे में थे जो न्यास द्वारा कवर नहीं किये गये और 13 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गांव (हरे रंग में प्रतिबिंबित) जो कवर किये गये हैं।

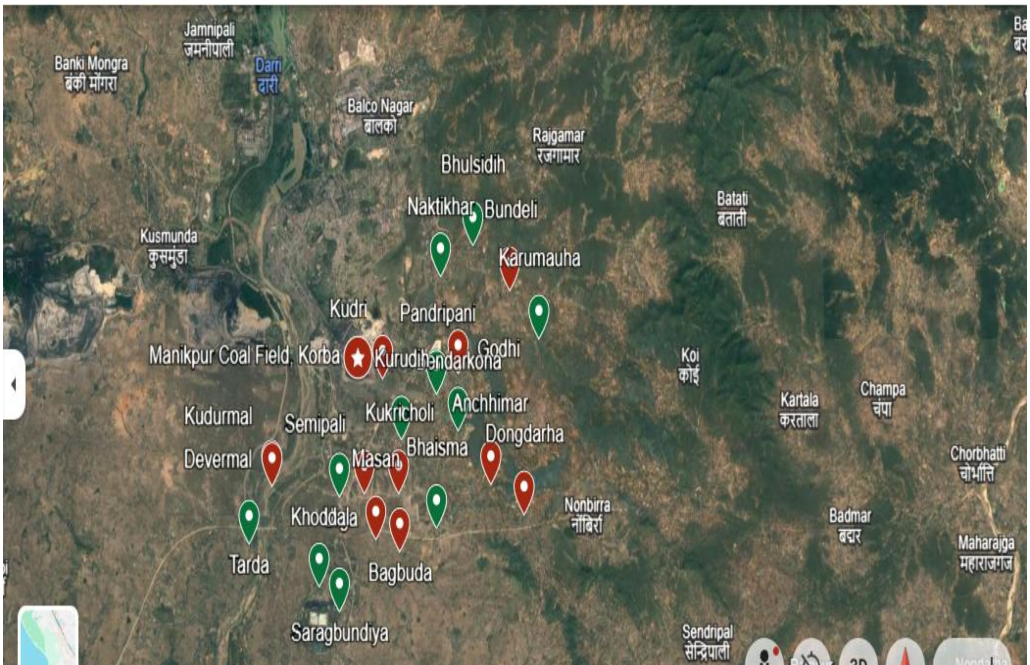

चित्र 3.2: कोरबा जिले के कोरबा और करतला जनपदों में 10 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गांवों (लाल रंग में प्रतिबिंबित) के नाम दर्शाने वाला भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्र, जो एसईसीएल माणिकपुर कोयला क्षेत्र की खानों (नीले रंग में प्रतिबिंबित) के 10 किलोमीटर के दायरे में थे, जो न्यास द्वारा कवर नहीं किये गये और 11 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गांव (हरे रंग में प्रतिबिंबित) जो कवर किये गये हैं।

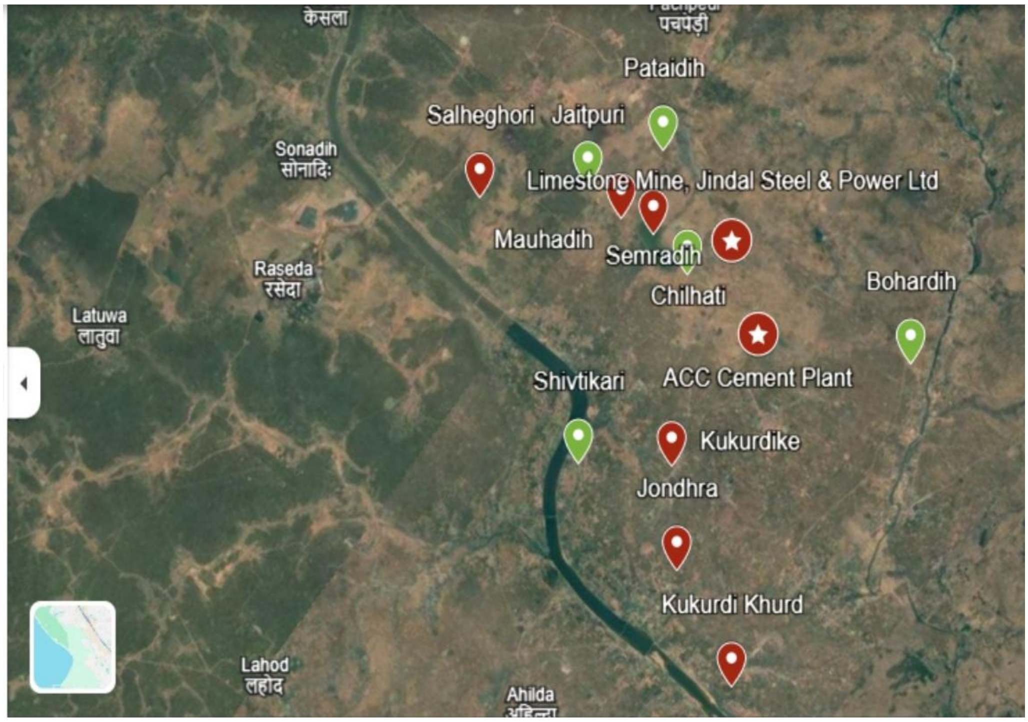

चित्र 3.3: बिलासपुर जिले में छह प्रत्यक्ष रूप प्रभावित गांवों (लाल रंग में प्रतिबिंबित) के नाम दर्शाने वाला भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्र, जो एसीसी, लफ़ार्ज और जिंदल खदानों (स्टार मार्क में प्रतिबिंबित) के 10 किलोमीटर के दायरे में थे, जो न्यास द्वारा कवर नहीं किये गये और पांच प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गांव (हरे रंग में प्रतिबिंबित) जो कवर किये गये हैं।

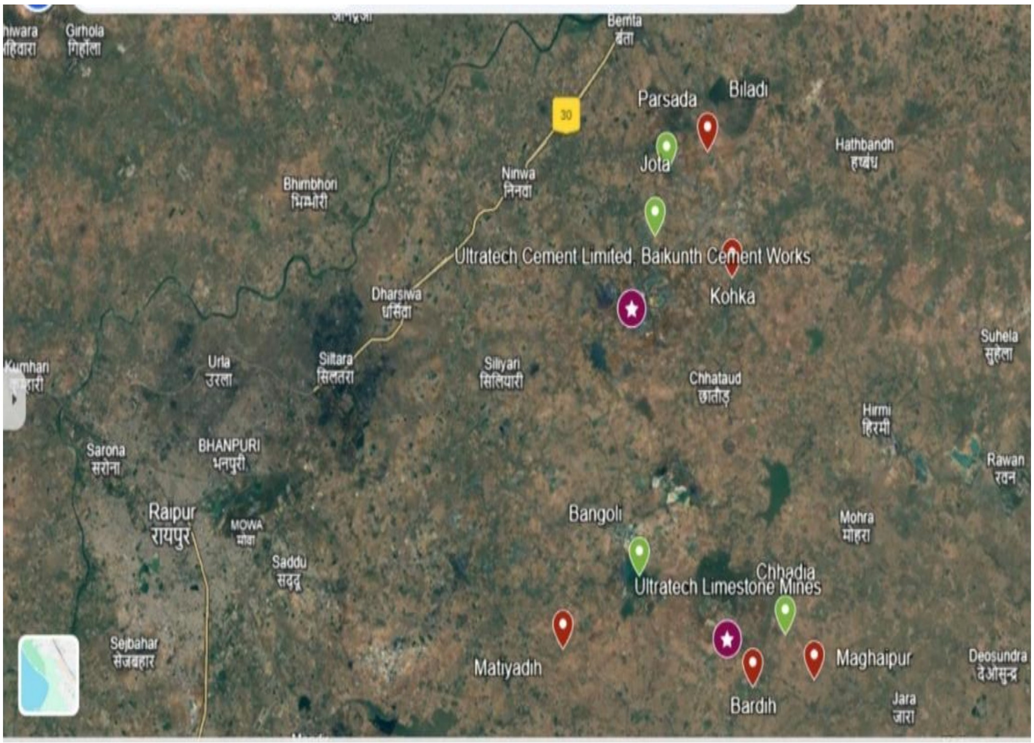

चित्र 3.4: रायपुर जिले के पांच प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गांवों (लाल रंग में प्रतिबिंबित) के नाम दर्शाने वाला भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्र, जो अल्ट्राटेक खानों (स्टार मार्क में प्रतिबिंबित) के 10 किमी के दायरे में थे, जो न्यास द्वारा कवर नहीं किये गये और चार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गांव (हरे रंग में प्रतिबिंबित) जो कवर किये गये हैं।

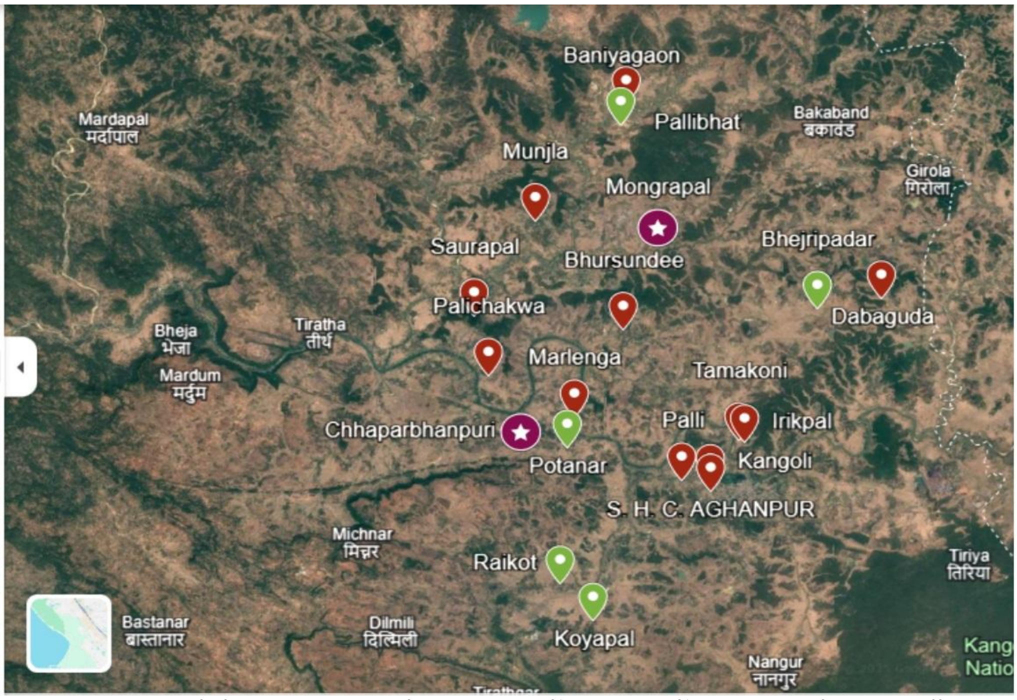

चित्र 3.5: बस्तर जिले के 12 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गांवों (लाल रंग में प्रतिबिंबित) के नाम दर्शाने वाला भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्र, जो छपर भोजपुरी और मोंग्राफिक खदानों (स्टार मार्क में प्रतिबिंबित) के 20 किलोमीटर के दायरे में थे जो न्यास द्वारा कवर नहीं किये गये और पांच प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गांव (हरे रंग में प्रतिबिंबित) जो कवर किए गए हैं।

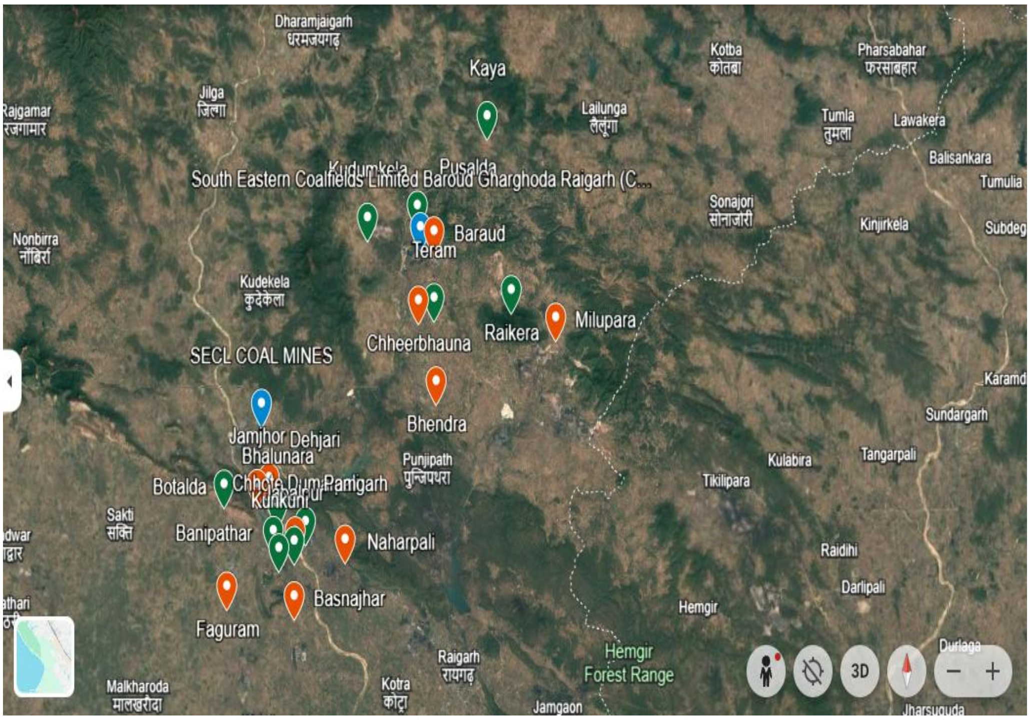

चित्र 3.6: रायगढ़ जिले के 10 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गांवों (लाल रंग में प्रतिबिंबित) के नाम दर्शाने वाला भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्र, जो एसईसीएल छल और बरौद कोयला खदानों (नीले रंग में प्रतिबिंबित) के 20 किलोमीटर के दायरे में थे जो न्यास द्वारा कवर नहीं किये गये और 11 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गांव (हरे रंग में प्रतिबिंबित) जो कवर किये गये हैं।

3.1.3 'प्रभावित क्षेत्रों' की सूची को अधिसूचित करने में देरी

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 2 (1)(ब) में 'प्रभावित क्षेत्र/ व्यक्ति' को इस तरह परिभाषित किया गया है: जिले के भीतर किसी खदान या खदानों के समूह से खनन या खनन से जुड़े संचालन से प्रभावित क्षेत्र/व्यक्ति, जैसा कि कलेक्टर द्वारा अधिसूचित किया गया हो, और जिले के बाहर किसी खदान या खदानों के समूह से खनन या खनन से जुड़े संचालन से प्रभावित क्षेत्र/व्यक्ति, जैसा कि राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य शासन ने दिसंबर 2015 में छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियमों को अधिसूचित किया और जनवरी 2016 में 27 जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया। हालाँकि, 11 चयनित जिलों में, जिला कलेक्टरों को न्यासों की स्थापना के बाद जिले के भीतर 'प्रभावित क्षेत्रों' की सूची की पहचान करने और घोषित करने में पांच से 65 महीने का समय लगा। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि कलेक्टर द्वारा घोषित प्रभावित क्षेत्र की सूची को जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के तहत निर्धारित छत्तीसगढ़ गजट में अधिसूचित नहीं किया गया था। इस बीच, न्यासों ने 'प्रभावित क्षेत्रों' की पहचान करने से पहले हीं **तालिका 3.2** में वर्णित विभिन्न कार्यों और गतिविधियों के लिए ₹ 1060.70 करोड़ की राशि आवंटित कर दी थी।

तालिका 3.2 : प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र की घोषणा में देरी और अधिसूचना से पहले निधि का आवंटन

(₹ करोड़ मे*)*

क्र.सं.	जिला खनिज संस्थान न्यास	वह महीना जिसमें 'प्रभावित क्षेत्र' की सूची जारी की गई	न्यास के गठन के बाद आदेश जारी करने में लगा समय (महीनों *में)*	'प्रभावित क्षेत्र' की पहचान से पहले आवंटित राशि
1	बालोद	जून-2016	5	4.77
2	बस्तर	मई-2019	40	193.95
3	बेमेतरा	अगस्त-2018	32	6.50
4	बिलासपुर	जुलाई-2017	19	93.51
5	कोंडागांव	मई-2021	65	68.84
6	कोरबा	जुलाई-2016	7	18.43
7	महासमुंद	जनवरी-2021	61	32.05
8	मुंगेली	जुलाई-2018	31	7.28
9	रायपुर	जनवरी-2019	36	88.85
10	राजनंदगांव	दिसम्बर-2019	46	98.77
11	सुकमा	अभी तक अधिसूचित नहीं है।	99	447.75
कुल				**1060.70**

सुकमा जिले में, जनवरी 2025 तक कलेक्टर ने जिले के भीतर 'प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र' के अंतर्गत आने वाले गांवों की सूची की पहचान और घोषणा नहीं की थी।

इसी प्रकार, बालोद जिले में कलेक्टर ने केवल जिले के भीतर 'प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र' की सूची की पहचान और घोषणा की (जून 2016) और 'अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र' की घोषणा (नवंबर 2024) नहीं की है। हालांकि, न्यास ने वर्ष 2015-16 से 2023-24 के दौरान प्रत्यक्ष 'प्रभावित क्षेत्रों' के अलावा अन्य क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों/गतिविधियों के लिए ₹ 84.86 करोड़ (979 कार्यों के लिए) की राशि आवंटित की है।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, राज्य शासन ने कहा कि 'प्रभावित क्षेत्रों' को अलग से घोषित करने से पहले संबंधित जिलों द्वारा कार्यों को मंजूरी दी गई थी ताकि न्यास के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके और 'प्रभावित क्षेत्रों' के लोगों को तत्काल लाभ मिल सके। यह भी कहा गया कि जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 6 (1)(जी) के अनुसार न्यासों द्वारा 'प्रभावित क्षेत्रों' की सूची रखी गई है क्योंकि राजपत्र में प्रकाशित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पारदर्शिता के लिए छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 के अनुसार जिले के भीतर 'प्रभावित क्षेत्रों' की सूची कलेक्टर द्वारा अधिसूचित की जानी आवश्यक है।

3.1.4 कार्यों को निरस्त करना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित किये गए 12 जिलों के न्यासों ने वर्ष 2015-16 से 2023-24 की अवधि के लिए संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ को 2,780 कार्यों/गतिविधियों को निरस्त किए जाने की सूचना दी, हालाँकि, न्यासों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार, 35,754 कार्यों में से 1,749 (4.89 प्रतिशत) कार्य प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद निरस्त किए गए थे। कोरबा (752 कार्य) और रायगढ़ (276 कार्य) में रद्द किए गए कार्यों की संख्या सबसे अधिक थी और ये कुल निरस्त कार्यों का 59 प्रतिशत था । निधियों के आवंटन के बाद कार्यों को निरस्त करना, उनकी स्वीकृति से पहले उचित जांच और पर्याप्त योजना के अभाव को दर्शाता है। न्यासों द्वारा दिए गए उत्तरों के अनुसार, कार्यों को निरस्त करने के कारण, किसी अन्य योजना में उसी कार्य की स्वीकृति, कार्य को पूरा करने में व्यावहारिक समस्याएँ और कठिनाइयाँ, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्य शुरू करने में विफलता या देरी आदि थे।

यह न्यासों द्वारा स्वीकृत कार्यों/गतिविधियों की प्रगति की निगरानी की कमी को इंगित करता है।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, राज्य शासन ने निरस्त किए गए कार्यों के लिए जारी की गई राशि की वापसी की न्यास-वार स्थिति प्रस्तुत की, जिससे पता चलता है कि न्यास अप्रयुक्त राशि की वसूली के लिए प्रयास कर रहे हैं, छह[1] जिलों में कार्यान्वयन एजेंसियों ने न्यास निधि खाते में ₹ 89.09 करोड़ की राशि वापस कर दी है।

---

[1] बस्तर, बेमेतरा, कोरबा, मुंगेली, रायगढ़ एवं रायपुर

न्यासों को कार्यान्वयन एजेंसियों के पास मौजूद निरस्त किए गए कार्यों की शेष राशि के साथ-साथ निधियों पर अर्जित ब्याज की वसूली के लिए प्रयास करने चाहिए।

3.2 परियोजना कार्यान्वयन

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को संबंधित जिलों के न्यासों द्वारा जिला खनिज संस्थान में जमा होने वाली निधियों का उपयोग करते हुए कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 का नियम 29 यह निर्धारित करता है कि न्यासों को कार्यों/वस्तुओं की खरीद के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। न्यास द्वारा किए जाने वाले कार्यों को केवल सरकारी विभागों, अभिकरणों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से ही निष्पादित किए जाने चाहिए जो सामान्यतः ऐसे कार्य करते हैं और जिन्हें अनुबंधों को निष्पादित करने या प्रदान करने के दौरान संगठन पर लागू प्रासंगिक मानदंडों का पालन करना चाहिए। कार्यों की तकनीकी स्वीकृति और पर्यवेक्षण का कार्य संबंधित विभाग पर लागू प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के अंतर्गत ऐसा करने के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए। न्यास को सभी एजेंसियों और लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में धनराशि अंतरित करनी चाहिए।

तदनुसार, न्यासों ने अपने द्वारा स्वीकृत कार्यों/गतिविधियों के निष्पादन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को नियुक्त किया। कार्यान्वयन एजेंसियां प्रबंधकारिणी समिति द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार कार्यों/गतिविधियों के निष्पादन और समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थीं।

12 चयनित जिलों के न्यासों ने जिला स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों[2] से प्राप्त प्रस्तावों और समय-समय पर शासी परिषद द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2023-24 के दौरान 35,754 कार्यों/गतिविधियों के निष्पादन के लिए ₹ 6,735.54 करोड़ की मंजूरी दी है। वर्ष 2015-16 से 2023-24 के दौरान सभी 12 चयनित जिलों के न्यासों द्वारा स्वीकृत कार्य/गतिविधियां एवं उनकी स्थिति का विवरण **परिशिष्ट 3.2** और **चार्ट 3.1** में दिया गया है।

---

[2] ग्राम पंचायतें, जनपद पंचायतें, जिला पंचायतें और जिले में शहरी स्थानीय निकाय, सरकारी विभाग एवं बोर्ड, निगम और राज्य / केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि।

चार्ट 3.1: नमूना लिए गए 12 न्यासों में स्वीकृत कार्यों/गतिविधियों की स्थिति

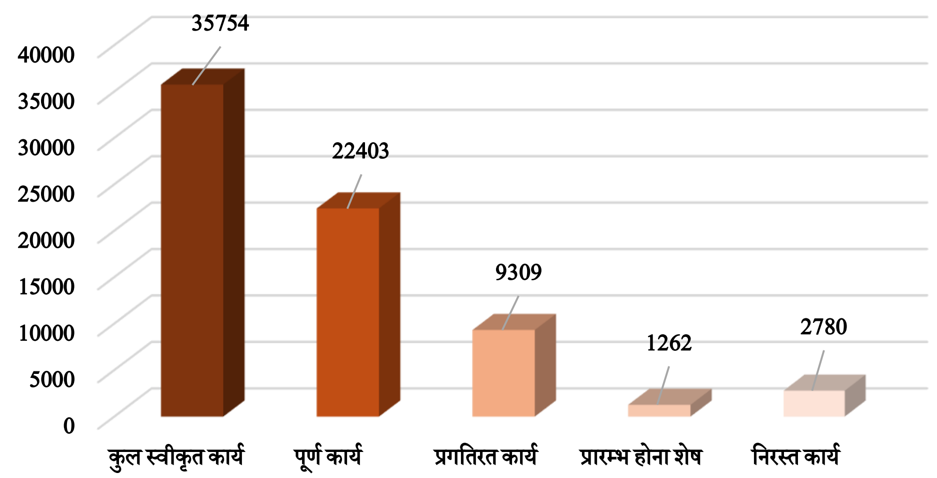

कुल स्वीकृत 35,754 कार्यों में से, मार्च 2024 तक 22,403 कार्य/गतिविधियाँ पूर्ण हो चुकी थीं, 9,309 कार्य प्रगतिरत थे, 1,262 कार्य अभी शुरू होने बाकी थे और 2,780 कार्य निरस्त कर दिए गए थे। लेखापरीक्षा के दौरान परियोजना कार्यान्वयन में पाई गई कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

3.2.1 अपूर्ण कार्यों और अप्रयुक्त परिसंपत्तियों पर निधि का अवरुद्ध रहना

कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निष्पादित कार्यों के अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा में अपूर्ण कार्यों/गतिविधियों और/या जिला खनिज संस्थान न्यास निधियों से निर्मित संपत्तियों के उपयोग में न लाए जाने के कारण निधियों के अवरुद्ध/निष्फल व्यय के उदाहरण पाए गए, जैसा कि **परिशिष्ट-3.3** में विस्तृत रूप से और नीचे दिए गए उदाहरणों में दर्शाया गया है:

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यान्वयन एजेंसियों ने वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि के दौरान चार जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा, बिलासपुर, कोंडागांव और सुकमा द्वारा स्वीकृत छह कार्यों को निर्धारित पूर्णता तिथि के बाद भी पूरा नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप इन अपूर्ण कार्यों पर ₹ 29.25 करोड़ अवरुद्ध हुई। कोरबा में अपूर्ण मल्टीलेवल पार्किंग की तस्वीरें **चित्र 3.7** में दिखाई गई है।

चित्र 3.7: कोरबा में अपूर्ण मल्टीलेवल पार्किंग की तस्वीरें

- बस्तर, सुकमा और कोरबा में **₹** 1.14 करोड़ के न्यास निधि से स्थापित तीन बायो गैस संयंत्र, गोबर की निरंतर आपूर्ति की व्यवस्था न होने और तकनीकी कमियों के कारण चालू नहीं किये जा सके और अगस्त 2025 तक परिचालन में नहीं रहे। इसी प्रकार, कोरबा में **₹** 3.01 करोड़ के जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से निर्मित एक कला और संस्कृति केंद्र का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि मई 2025 तक केंद्र की अभिरक्षा जिला खनिज संस्थान न्यास के पास था।

- संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा नें सात मामलों में यह पाया गया कि **₹** 8.40 करोड़ रुपये के न्यास निधि से निर्मित संपत्तियों का उपयोग नहीं किया गया, वे क्षतिग्रस्त हो गई थीं या निजी उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई थीं। जनपद पंचायत, डोंडी में जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से स्थापित मुर्गी पालन और मशरूम उत्पादन केंद्रों की तस्वीरें **चित्र 3.8** में दी गई हैं, जो संयुक्त भौतिक निरीक्षण (4 अप्रैल 2024) में देखे जाने के अनुसार अप्रयुक्त पड़े हैं।

चित्र 3.8: जनपद पंचायत, डोंडी में जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से स्थापित मुर्गी पालन और मशरूम उत्पादन केंद्रों की तस्वीरें

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, राज्य शासन ने कहा (अगस्त 2025) कि न्यास की जिम्मेदारी कार्य की मंजूरी देना और एजेंसी का चयन करना है। कार्य पूर्ण होने के बाद, कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और विभागीय मानकों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित कार्य एजेंसी की है क्योंकि वे विभागीय नियमों और मानकों में कुशल हैं और पर्याप्त ज्ञान रखते हैं। इसलिए, किसी भी कार्य की मंजूरी के बाद, पूरी जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की है। हालांकि, इसकी प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

उत्तर न्यास और कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी और राशि जारी करने के बाद न्यास द्वारा अपर्याप्त निगरानी का संकेत देता है, जो स्वीकृत कार्यों/गतिविधियों के समय पर निष्पादन और इच्छित उद्देश्य के लिए परिसंपत्तियों के उपयोग को प्रभावित करता है।

3.2.2 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से बाहर के कार्यों/गतिविधियों पर न्यास निधि का उपयोग

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 22 (1) में यह निर्धारित किया गया है कि न्यास के पास उपलब्ध निधियों का उपयोग खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए किया जाना चाहिए।

प्रमुख सचिव, खनिज संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन (व्यवस्थापक) ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए (जुलाई 2016 और अप्रैल 2019) कि न्यास निधि का उपयोग नियम 22 के उप नियम (2) और (3) के तहत निर्दिष्ट उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों/अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सुनिश्चित किया जाए, जो केवल निर्दिष्ट कार्यों के लिए न्यास निधि के उपयोग का प्रावधान करता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 12 चयनित जिलों में, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में निर्धारित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से परे 80 विभिन्न परियोजनाओं/गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 30.73 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई थी, जो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत अस्वीकार्य थी। यह व्यय सरकारी विभागों के सौंदर्यीकरण या प्रशासन संबंधी कार्यों/गतिविधियों पर किया गया था, जैसे स्वागत द्वारों का निर्माण, कलेक्ट्रेट परिसर में उद्यान, सरकारी कार्यालय भवनों का नवीनीकरण/निर्माण, कार्यालय सामग्रियों का क्रय, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, जिला प्रशासन के सोशल मीडिया नेटवर्क का प्रचार आदि, जैसा कि **परिशिष्ट 3.4** में विस्तार से बताया गया है।

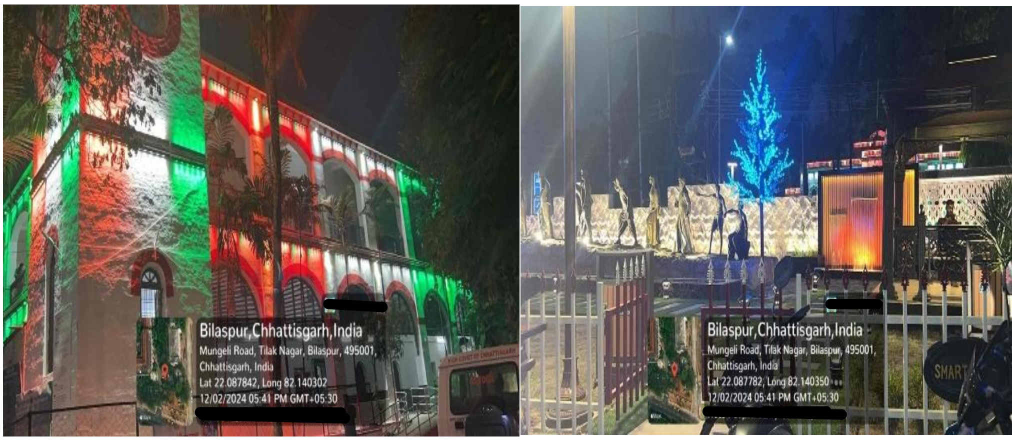

चित्र 3.9: कलेक्ट्रेट कार्यालय बिलासपुर में उद्यान और फसाड लाइटिंग सौंदर्यीकरण कार्य

ये कार्य/गतिविधियां खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए नहीं थीं और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना और जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के तहत निर्धारित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से परे थीं।

3.2.3 'पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपायों' के लिए आवंटित न्यास निधि का अनियमित उपयोग

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, 'पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपायों' के तहत जिला खनिज संस्थान न्यास निधि में अपशिष्ट उपचार संयंत्र, जल निकायों के लिए प्रदूषण की रोकथाम, खनन से वायु और धूल नियंत्रण, खान जल निकासी

प्रणाली, प्रदूषण रोकथाम प्रौद्योगिकियां और सक्रिय/बंद खानों के लिए सतत खनन सुनिश्चित करने के उपाय शामिल होने चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कोरबा जिले में न्यास ने ₹ 5.77 करोड़ की न्यास निधि का उपयोग जिले के विभिन्न प्री/पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आवासीय छात्रावासों में अग्निशामक यंत्र लगाने के लिए किया, जो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में 'पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण उपाय' क्षेत्र के तहत निर्धारित गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आते थे।

3.2.4 वस्तुओं की खरीद के लिए छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों का अनुपालन न करना

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना दिशानिर्देश, 2015 का अनुच्छेद 4 और छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 का नियम 29 यह निर्धारित करता है कि न्यासों द्वारा कार्यों और वस्तुओं का क्रय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ऐसी क्रय के लिए निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद की जानी चाहिए।

प्रशासनिक स्वीकृति जारी करते समय, प्रबंधकारिणी समिति कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्देश देती है कि वे क्रय के लिए न्यास निधि का उपयोग करते समय छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करें।

छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 के उपनियम 4.3.3 के अनुसार, तीन लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं या सेवाओं का क्रय खुली निविदाओं के माध्यम से की जानी चाहिए, जिसके लिए समाचार पत्रों में नोटिस (एनआईटी) प्रकाशित किए जाने चाहिए। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 के उपनियम 4.1 में यह प्रावधान है कि निविदा आमंत्रित करने से पहले क्रय की जाने वाली वस्तुओं के तकनीकी विनिर्देशों को एक तकनीकी समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

क्रय संबंधी मामलों की जांच में निम्नलिखित अनियमितताएं सामने आईं:

(क) खुली निविदा आमंत्रित किए बिना वस्तुओं का अनियमित क्रय

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित पांच[3] जिलों में कार्यान्वयन एजेंसियों[4] ने खुली निविदाएं आमंत्रित किए बिना सीमित कोटेशन के आधार पर ₹ 17.49 करोड़ की वस्तुओं और सेवाओं की क्रय की, जिससे छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ जैसा की **परिशिष्ट 3.5** में विस्तृत रूप से उल्लिखित है।

हालाँकि न्यासों ने कार्यान्वयन एजेंसियों को छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया और उन्हें इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बनाया, लेकिन न्यासों ने

[3] बालोद, बस्तर, बेमेतरा, बिलासपुर और कोरबा

[4] जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त (आदिवासी विकास), उप मंडल अधिकारी (लाइट मशीनरी, ट्यूब वेल और गेट डिवीजन), जनपद पंचायत

कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निष्पादित कार्य की प्रभावी निगरानी और जारी की गई स्वीकृति के नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया।

(ख) तकनीकी मानदंडों और विशिष्टताओं को निर्धारित किए बिना वस्तुओं का क्रय

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो चयनित जिलों[5] में कार्यान्वयन एजेंसियों[6] ने निविदा आमंत्रण से पहले तकनीकी मानदंडों और विशिष्टताओं को निर्धारित किए बिना जैसा कि छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम के उपनियम 4.1 के तहत आवश्यक है, ₹ 38.82 करोड़ रुपये की वस्तुओं और सेवाओं की क्रय की, जैसा की **परिशिष्ट 3.6** में विस्तृत रूप से उल्लिखित है। क्रय की गई वस्तुएं बीआईएस प्रमाणन की शर्तों और गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक (आईएस) 17632:2022 के अनुपालन को पूरा नहीं करती थीं।

इसके अलावा, न्यासों द्वारा क्रय के लिए दी गई स्वीकृतियाँ कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर आधारित थीं, जिनमें आवश्यक विवरणों जैसे कि क्रय की जाने वाली वस्तुओं की अनुमानित लागत का स्रोत या आधार, आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता/मानक, फर्नीचर, कंप्यूटर, जल शोधक आदि के लिए तकनीकी विशिष्टताओं का अभाव था।

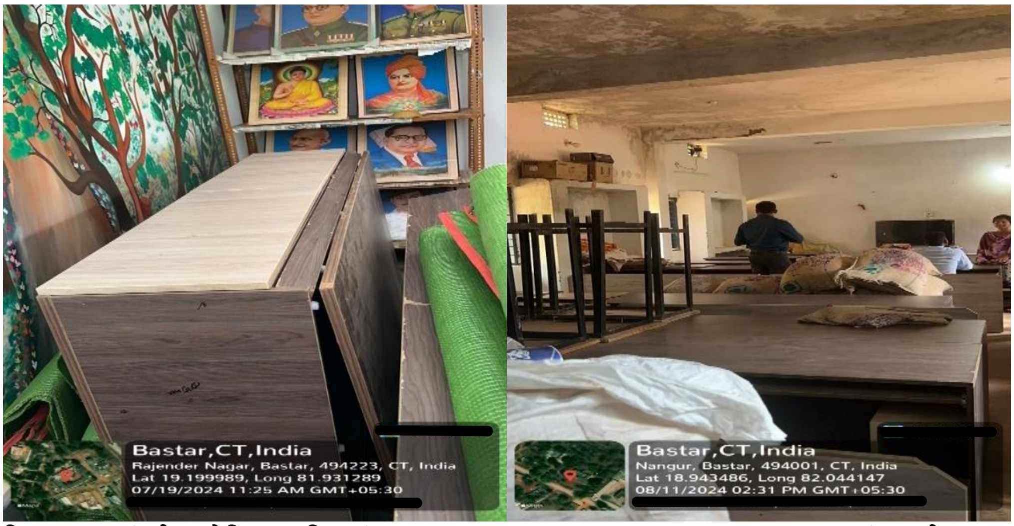

चित्र 3.10: प्री-पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, परचम्पाल, बस्तर; छात्रावास अधीक्षक ने बताया कि फर्नीचर की आपूर्ति के कुछ ही समय के भीतर उसमें दीमक लग गई थी।

यह इंगित करता है कि न्यास ने अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं की आपूर्ति के लिए कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत क्रय प्रस्तावों की जांच करने में उचित सावधानी नहीं बरती।

5 बस्तर और बिलासपुर

6 सहायक आयुक्त,आदिवासी विकास; जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा, बस्तर एवं प्राचार्य, आजीविका महाविद्यालय बिलासपुर

चित्र 3.11: बस्तर जिले के आदिवासी छात्रावासों में लगाए गए आरओ सिस्टम काम नहीं कर रहे थे और छात्रावास अधीक्षक ने बताया कि आरओ शुद्धिकरण प्रणाली की कैंडल्स को स्थापना के बाद से साफ या सर्विस नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, राज्य शासन ने कहा कि कार्यान्वयन एजेंसी कार्यों के निष्पादन के लिए भंडार क्रय नियमों का पालन करने और संबंधित विभागों के मानदंडों का पालन करने के लिए जिम्मेदार है।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2025) के दौरान, यह कहा गया था कि जिला खनिज संस्थान न्यास के तहत स्वीकृत कार्यों के निष्पादन की निगरानी के लिए प्रशासनिक विभाग जिम्मेदार है। वे इनके रखरखाव और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। इसके लिए जिला खनिज संस्थान न्यास के तहत स्वीकृत परियोजनाओं/कार्यों की निगरानी के लिए प्रशासनिक विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

न्यास को कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा क्रय प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करना चाहिए।

3.2.5 शासी परिषद से अनुमोदन के बिना निधियों का उपयोग

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 12 (2) के अनुसार, शासी परिषद वार्षिक कार्य योजना जिसमें योजनाओं और परियोजनाओं की सूची और उसके अस्थायी प्रावधान शामिल होंगे को मंजूरी देगी, बशर्ते कि वार्षिक योजना से किसी भी प्रकार का विचलन होने पर, योजना/परियोजना के लिए शासी परिषद से छह महीने के भीतर कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बस्तर, कोंडागांव और सुकुमा में न्यासों ने शासी परिषद की स्वीकृति प्राप्त किए बिना बस्तरनेट परियोजना के कार्यान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर को ₹ 33.12 करोड़ की न्यास निधि प्रदान की।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत उत्तर में स्पष्ट रूप से शासी परिषद की मंजूरी नहीं लेने के कारण का उल्लेख नहीं किया गया था।

अध्याय-IV

निगरानी

अध्याय-IV

निगरानी

4.1 निगरानी समितियों की बैठकें

4.1.1 राज्य स्तरीय निगरानी समिति और राज्य स्तरीय समीक्षा समिति द्वारा अपर्याप्त निगरानी

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 17 और 18 के अनुसार, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति को न्यास के उद्देश्यों के अनुरूप सभी जिलों के न्यासों के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण करनी चाहिए और वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करनी चाहिए।

इसी प्रकार, राज्य शासन द्वारा राज्य स्तरीय निगरानी समिति के कार्यान्वयन निर्णयों की निगरानी के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समीक्षा समिति का गठन (मई 2018) किया गया। राज्य स्तरीय समीक्षा समिति को न्यासों के कार्यों/गतिविधियों की प्रगति की त्रैमासिक समीक्षा करनी चाहिए और राज्य स्तरीय निगरानी समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य स्तरीय निगरानी समिति ने केवल तीन बैठकें (जनवरी 2016, नवंबर 2019 और सितंबर 2022) आयोजित की, जो आवश्यक नौ बैठकों से कम हैं। इसी तरह, राज्य स्तरीय समीक्षा समिति की निर्धारित 36 बैठकों के बजाय केवल दो बैठकें (जून 2020 से नवंबर 2022 तक) हुईं। नवंबर 2022 के बाद राज्य स्तरीय निगरानी समिति और राज्य स्तरीय समीक्षा समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

इस प्रकार, राज्य स्तरीय निगरानी समिति और राज्य स्तरीय समीक्षा समिति दोनों की बैठकों के आयोजन में हुई कमी के कारण न्यासों के कामकाज की अपर्याप्त निगरानी हुई, जिसके परिणामस्वरूप जवाबदेही का अभाव, संसाधनों का अक्षम उपयोग, हितग्राहियों की पहचान किए बिना योजना का कार्यान्वयन, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अलावा अन्य गतिविधियों पर व्यय आदि जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई, जिससे अंततः खनन प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों के लाभ के लिए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के प्रभावी कार्यान्वयन पर असर पड़ा।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, राज्य शासन ने कहा (अगस्त 2025) कि कोविड महामारी के कारण वर्ष 2020 और 2021 में बैठकें आयोजित नहीं की जा सकीं। वर्ष 2022 में, राज्य स्तरीय निगरानी समिति की तीसरी बैठक (25 सितंबर 2022) आयोजित की गई थी, जिसमें न्यास के उद्देश्य के विपरीत कार्यों की स्वीकृति पर रोक लगा दी गई।

4.1.2 प्रबंधकारिणी समिति और शासी परिषदों द्वारा अपर्याप्त निगरानी

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 12 और 13 के अनुसार, न्यास की शासी परिषद न्यास के संचालन के लिए रूपरेखा तैयार करने और अनुमोदित करने और समय-समय पर न्यास के कामकाज की समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी होगी। तदनुसार,

शासी परिषद की बैठकें आवश्यकतानुसार, लेकिन कम से कम हर छह महीने में एक बार अवश्य होनी चाहिए।

इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 14 और 15 के अनुसार, प्रबंधकारिणी समिति को न्यास के हितों की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। प्रबंधकारिणी समिति की बैठकें एक वित्तीय वर्ष में कम से कम चार बार आयोजित की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि शासी परिषद और प्रबंधकारिणी समिति दोनों ही छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के अनुसार अनिवार्य रूप से बैठकें करने में विफल रहीं, जो न्यास की गतिविधियों की अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है। वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान दोनों द्वारा आयोजित बैठकों का विवरण नीचे दिए गए **चार्ट 4.1** एवं **चार्ट 4.2** में दिया गया है।

चार्ट 4.1: शासी परिषद की बैठकें

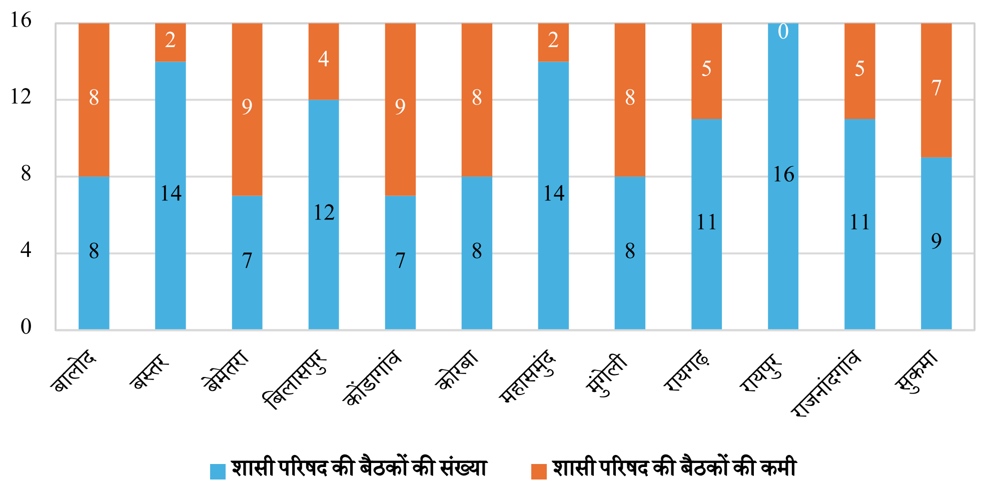

चार्ट 4.2: प्रबंधकारिणी समिति की बैठकें

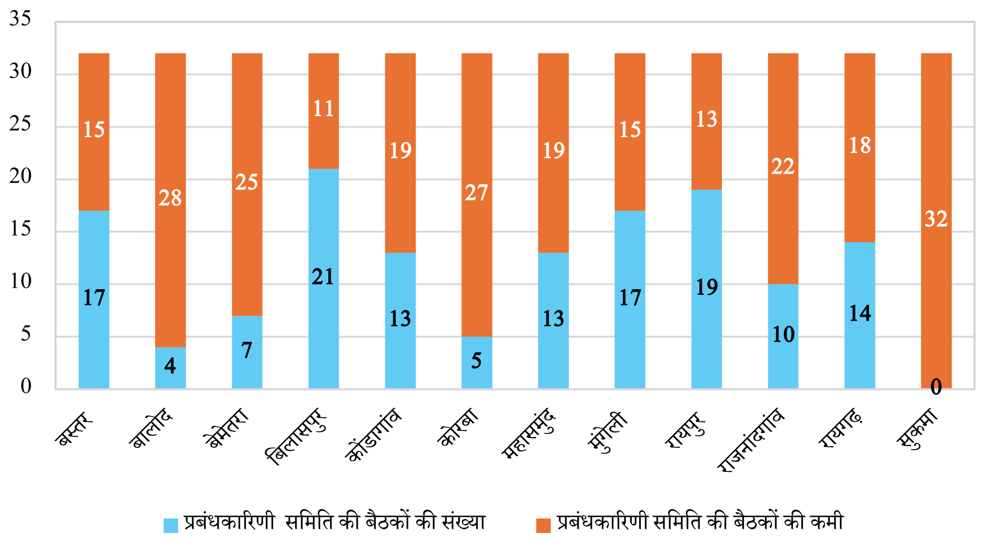

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, राज्य शासन ने कहा (अगस्त 2025) कि कोविड-19 महामारी के कारण निर्धारित बैठकें आयोजित नहीं की गई थीं, हालाँकि, समय सीमा बैठकों में जिला खनिज संस्थान न्यास से संबंधित कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा की गई है, वर्तमान में बैठकें निर्धारित समय के अनुसार आयोजित की जा रही हैं।

प्रबंधकारिणी समिति और शासी परिषद को प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के उचित कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए नियमित बैठकें करनी चाहिए।

4.2 जवाबदेही एवं पारदर्शिता तंत्र

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना दिशानिर्देश, 2015 के अनुच्छेद 5 और छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 15 (13) के अनुसार प्रबंधकारिणी समितियों को वेबसाइट तैयार करनी चाहिए और उसे संधारित रखना चाहिए तथा न्यास की संरचना का विवरण, खनन से प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों की सूची, पट्टेदारों से प्राप्त सभी अंशदानों का त्रैमासिक विवरण, सभी बैठकों का एजेंडा, न्यास की कार्यवृत्त और की गई कार्रवाई की प्रतिवेदन, वार्षिक योजनाएं, बजट आदि जैसी जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए।

चयनित किए गये 12 जिलों की वेबसाइटों की लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चला कि न्यास की संरचना, खनन से प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों की सूची, प्राप्त अंशदान का त्रैमासिक विवरण, किए गए कार्यों की स्थिति, वार्षिक योजना और बजट, बैठकों का कार्यवृत्त आदि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी वेबसाइटों पर प्रकट/अद्यतन नहीं की गई थी।

इस प्रकार, सूचना के प्रकटीकरण की कमी और वेबसाइट पर उनका समय पर अद्यतन न होना अपर्याप्त निगरानी और निधियों के उपयोग में पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, राज्य शासन ने कहा (अगस्त 2025) कि जिलों ने वर्ष 2015-16 से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और वर्ष 2016-17 से वार्षिक प्रतिवेदन पूरी कर ली है और इसे जिला खनिज संस्थान पोर्टल और खान मंत्रालय (भारत सरकार) पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि न्यासों की वेबसाइट पर अभी तक महत्वपूर्ण जानकारी अपलोड नहीं की गई है (सितंबर 2025)।

4.3 मानव संसाधन

व्यवस्थापक ने (जुलाई 2017) छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 26 (4) के अनुसार, प्रत्येक जिले में न्यास के कार्यालय चलाने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आदेश जारी किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि न्यास स्वीकृत संख्या के विरुद्ध न्यास की गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त कुशल मानव संसाधन नियुक्त नहीं कर सके। इसके अलावा, न्यासों ने विकास सहायकों और सहायक परियोजना समन्वयक, लेखापाल आदि जैसे महत्वपूर्ण पदों को नहीं भरा,

जबकि ये पद स्वीकृत संरचना में शामिल थे। **चार्ट 4.3** में मानव संसाधन की इस महत्वपूर्ण कमी को दर्शाया गया है।

चार्ट 4.3: पदस्थ एवं रिक्त पदों की स्थिति

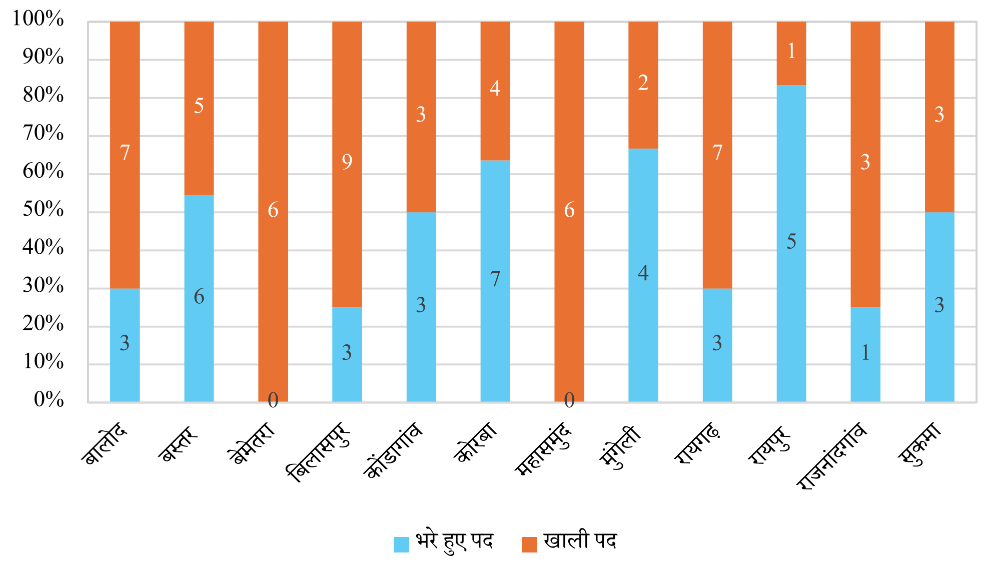

12 न्यासों की प्रबंधकारिणी समिति ने अपनी स्थापना के बाद से परियोजना समन्वयक, सहायक परियोजना समन्वयक, लेखाकार और सहायक जैसे प्रमुख पदों को नहीं भरा है, जिसका विवरण **परिशिष्ट 4.1** में दिया गया है। दो जिलों[1] में 100 प्रतिशत और चार जिलों[2] में 50 प्रतिशत से अधिक मानव संसाधन की कमी थी।

मानव संसाधन की कमी ने न्यास कार्यालयों के सुचारू कामकाज को गंभीर रूप से प्रभावित किया।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2025) के दौरान, यह कहा गया कि विभाग रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए अधिसूचना जारी करेगा।

4.4 अभिलेखन

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 का नियम 25 यह निर्धारित करता है कि प्रबंधनकारिणी समिति को न्यास निधि से संबंधित उचित लेखा-पुस्तकों, दस्तावेजों और अभिलेखों का संधारण करना चाहिए या संधारण करने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि न्यास के कार्यों का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत किया जा सके। न्यास द्वारा जिलों में खनन से संबंधित गतिविधियों, न्यास निधि की प्राप्ति, न्यास निधि से व्यय, हितग्राहियों की सूची, न्यास में प्राप्त प्रस्ताव, न्यास द्वारा अनुमोदित कार्यों और न्यास में प्राप्त शिकायतों के लिए व्यवस्थापक द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप के अनुसार अलग-अलग पंजी बनाए रखे जाने चाहिए।

[1] बेमेतरा एवं महासमुंद

[2] बालोद, बिलासपुर, रायगढ़ एवं राजनांदगांव

लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी 12 चयनित जिला खनिज संस्थान न्यास प्रशासकीय स्वीकृतियों का पंजी, कार्यान्वयन एजेंसियों को राशि जारी करने, उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति आदि जैसे पंजी और बहीखाते रखने में विफल रहे, इसके अतिरिक्त, राज्य स्तरीय निगरानी समिति ने नियमों के तहत आवश्यक अभिलेख संधारण के लिए प्रारूप भी निर्धारित नहीं किए थे। न्यास अपने कार्यों और गतिविधियों के अभिलेख केवल संपादन योग्य डिजिटल प्रारूप (एक्सेल स्प्रेडशीट) में रखते थे, जो परिवर्तन के प्रति संवेदनशील थे और आसानी से संशोधित किए जा सकते थे।

कोरबा जिले में, न्यास के अभिलेख कालानुक्रमिक संगठन के बिना अव्यवस्थित फाइलों में रखे गए थे। इसी प्रकार, चार जिलों (महासमुंद, कोरबा, बालोद, बेमेतरा) में भी न्यास के अभिलेख ठीक से नहीं रखे गए थे। इसके अलावा, सभी 12 जिलों में, कार्यान्वयन एजेंसियों ने लेखापरीक्षा के लिए क्रय के अभिलेख खुली फाइलों में प्रस्तुत किया, जिसके कारण अभिलेख/फ़ाइल की पूर्णता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2025) के दौरान, यह कहा गया था कि पर्याप्त मानव संसाधन की कमी इसका कारण है, और विभाग जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी करेगा। वर्तमान में, न्यासों को प्रशासकीय अनुमोदन और निधि अंतरण आदेशों के लिए अलग-अलग पंजी बनाए जा रहे हैं।

तथ्य यह है कि राज्य स्तरीय निगरानी समिति नियमों के तहत आवश्यक अभिलेख-संधारण के लिए प्रारूप निर्धारित कर सकता है और न्यास कार्यान्वयन एजेंसियों के अभिलेख की निगरानी कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उचित दस्तावेज बनाए रखें।

अध्याय-V

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

अध्याय-V

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

5.1 निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ में जिला खनिज संस्थान न्यास सहित प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा ने शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रणालीगत कमियों को उजागर किया गया।

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना एक योजना के रूप में कानूनी और संस्थागत मजबूती की नींव पर आधारित है, जिसे जिला खनिज संस्थान न्यास के विवेकपूर्ण प्रबंधन द्वारा वित्तपोषित किया जाता है, जिसे परियोजना निष्पादन के माध्यम से लागू किया जाता है और प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन के माध्यम से लक्षित लाभों को प्राप्त करती है ।

हमने पाया कि योजना के संशोधित दिशानिर्देशों को अधिसूचित करते समय, राज्य शासन ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, 2024 से लेखापरीक्षा प्रावधान को शामिल नहीं किया, जिसमें कहा गया है कि जिला खनिज संस्थान न्यास खातों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की समय-सारणी के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी चाहिए। यह राज्य को संशोधित दिशानिर्देशों में परिकल्पित आश्वासन स्तर से दूर ले जाता है।

हमने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, 2015 से छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में विचलन का उल्लेख किया, जो खनन प्रभावित समुदायों के लिए संभावित रूप से इच्छित लाभों को कम कर रहा है। देखे गए प्रमुख मुद्दों में 'प्रभावित व्यक्तियों' की परिभाषा में संशोधन और विशिष्ट चयन मानदंडों के बिना लोगों को शामिल करने के लिए दायरे का विस्तार शामिल था। प्रभावित व्यक्तियों के लिए निधियां स्पष्ट मानदंड स्थापित किए बिना या लक्षित हितग्राहियों की पहचान किए बिना वितरित की जा रही थीं। इसके अलावा हमने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, 2015 में निर्धारित राज्य विधानसभा के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के प्रावधान को भी नियमों से हटा दिया गया था।

राज्य मुख्य खनिजों के लिए रॉयल्टी के साथ-साथ जिला खनिज संस्थान के अंशदान के समय पर भुगतान की सुविधा के लिए खनिजऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करता है। हालांकि, गौण खनिजों के लिए इसी तरह की समान व्यवस्था की कमी थी और गौण खनिजों के लिए पारगमन पास हस्तलिखित रूप से जारी किए गए थे जो रॉयल्टी के साथ जिला खनिज संस्थान भुगतान सुनिश्चित नहीं करते थे। इससे योजना के कार्यान्वयन की संस्थागत व्यवस्था में एक कमी रह जाती है।

लेखापरीक्षा के लिए चयनित जिलों में गैर-अनुपालन के महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए, जहां वार्षिक योजना/बजट तैयार किए बिना न्यास निधि का उपयोग किया गया और भारत सरकार के आदेशों के विपरीत, राज्य स्तरीय जिला खनिज संस्थान प्रकोष्ठ को अंतरित कर दिया गया, जबकि प्रकोष्ठ के पास बकाया राशि थी। न्यासों ने ऑटो-स्वीप या फ्लेक्सी जमा का विकल्प चुने बिना धनराशि

को बचत खातों में रखा, जिससे ब्याज से होने वाली आय को अधिकतम करने के अवसरों से वंचित रह गए।

न्यास की स्थापना के बाद पांच से 65 महीनों की देरी से 'प्रभावित क्षेत्रों' की पहचान की गई और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने से पहले ही कार्यों के लिए ₹1,060.70 करोड़ आवंटित कर दी गई। इसके अलावा, जिला कलेक्टरों द्वारा 'प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों' के तहत पहचाने गए गांवों की सूची अधिसूचित नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, न्यास द्वारा धनराशि का 81 प्रतिशत उपयोग किए जाने के बावजूद, चयनित 11 जिलों में से 44 प्रतिशत प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गांव इसमें शामिल नहीं हो पाए। न्यास निधि का उपयोग अयोग्य क्षेत्रों जैसे स्वागत द्वारों का निर्माण, कलेक्ट्रेट परिसर में उद्यान, विभागीय कार्यालय भवनों का नवीनीकरण/निर्माण, कार्यालय वस्तुओं का क्रय, कार्यालय उपयोग के लिए वाहनों का क्रय, निजी शिक्षण संस्थानों को अनुदान आदि के लिए भी किया जा रहा था। विभिन्न मामलों में क्रय में अनुशासन की कमी को भी देखा गया। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा क्रय दस्तावेजों को खुली फाइलों में रखा गया था। न्यासों में कुशल मानव संसाधन का अभाव था और प्रमुख पदों को नहीं भरा गया था।

निगरानी के पहलू के सबंध में, राज्य स्तरीय निगरानी समिति ने निर्धारित दस्तावेजीकरण और अभिलेखों के रखरखाव को सुनिश्चित नहीं किया और अनिवार्य आवृत्तियों पर बैठकें आयोजित करने में विफल रही। प्रमुख जानकारियाँ वेबसाइट पर प्रकट/अद्यतन नहीं की गयी थी। न्यास के कार्यों/गतिविधियों की सामाजिक लेखा परीक्षा नहीं की गई थी।

वैधानिक और संस्थागत ढ़ांचे, निधियों का प्रबंधन, कार्य का निष्पादन और योजना की निगरानी में पायी गयी कमियों ने इच्छित प्रभाव को कम कर दिया, जो कि जिला खनिज संस्थान संग्रह में दूसरे सबसे बड़े स्थान पर रहने वाले राज्य के लिए बहुत महत्व रखता है।

5.2 अनुशंसाएं

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि राज्य सरकार:

- ***'प्रभावित व्यक्तियों' की सूची तुरंत तैयार करें और छत्तीसगढ़ राजपत्र में 'प्रभावित क्षेत्रों' के साथ इसे अधिसूचित करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ लक्षित हितग्राहियों तक पहुंचें।***
- ***खनन प्रभावित क्षेत्रों में संसाधनों के समान वितरण के लिए प्रत्यक्ष प्रभावित गांवों का कवरेज सुनिश्चित करना।***
- ***एक दीर्घकालिक मास्टर प्लान और विजन दस्तावेज तैयार करें जो गतिविधियों को प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के उद्देश्यों के अनुरूप संरेखित करे और जिसका क्रियान्वयन खनन प्रभावित क्षेत्रों और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करे।***
- ***वित्तीय अनुशासन के लिए शासी परिषद द्वारा विधिवत अनुमोदित न्यासों द्वारा वार्षिक योजना और बजट की तैयारी करना सुनिश्चित करें।***

- ***सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के कार्यान्वयन में जिला खनिज संस्थान न्यास की प्रभावशीलता का आकलन करने तथा सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने की योजना बनाएं।***
- ***यह सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करें कि जिला खनिज संस्थान न्यास और कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय सहित कानूनी ढ़ांचे और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अनुसार काम कर रहे हैं।***

रायपुर **(मो. फ़ैज़ान नैय्यर)**
दिनांक: 06 मई 2026 **महालेखाकार (लेखापरीक्षा)**
छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**
दिनांक: 13 मई 2026 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट 3.1

(कंडिका 3.1.1 में संदर्भित)

हितग्राहियों को वस्तुओं का यादृच्छिक निःशुल्क वितरण

(₹ लाख में)

स.क्र.	कार्य का विवरण/प्रशासनिक स्वीकृति	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति एवं दिनांक	हितग्राहियों की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि	जारी राशि
			बालोद			
1.	बैटरी चलित नैपसैक स्प्रेयर का वितरण	सहायक संचालक उद्यान, बालोद	प्रशा.स्वी.क्र.-230153649406; 29/03/2023	2,282	90.37	90.08
2.	लघु/सीमांत किसानों को पौधा संरक्षण उपकरण (बैटरी चलित) की आपूर्ति	सहायक संचालक उद्यान, बालोद	प्रशा.स्वी.क्र.-420; 08/11/2021	1,224	67.25	67.10
3.	4000 किसानों को सब्जी के बीज की मिनी किट वितरण	सहायक संचालक उद्यान, बालोद	प्रशा.स्वी.क्र.-220144725478; 08/12/2022	4,000	50.00	49.31
4.	4000 किसानों को सब्जी के बीज की मिनी किट वितरण	सहायक संचालक उद्यान, बालोद	प्रशा.स्वी.क्र.-220132973634; 08/12/2022	4,000	50.00	49.31
5.	वन पट्टाधारक किसानों/लघु एवं सीमांत किसानों को लाभ पहुँचाने हेतु, आवश्यक सामग्री सहित, सब्सिडी पर सब्जियों (भिंडी की हाइब्रिड किस्म) के खेती क्षेत्र का विस्तार एवं वितरण	सहायक संचालक उद्यान, बालोद	प्रशा.स्वी.क्र.-220134453641; 17/02/2022	607	50.13	50.00
6.	उद्यानिकी उपकरण किट सेट 3186 नंबर	सहायक संचालक उद्यान, बालोद	प्रशा.स्वी.क्र.-2718; 26/09/2020	3,186	100.02	100.02
7.	जिले के किसानों को सब्जी उत्पादन कार्य हेतु सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम की आपूर्ति	सहायक संचालक उद्यान, बालोद	प्रशा.स्वी.क्र.-220194009714; 27/05/2022	219	161.29	124.46
8.	किसानों को पावर वीडर जीएसडब्ल्यू 500 का वितरण	सहायक संचालक उद्यान, बालोद	प्रशा.स्वी.क्र.-220129241524; 17/02/2022	150	150.15	150.09
9.	ड्रिप सेट का वितरण	उपसंचालक कृषि, बालोद	प्रशा.स्वी.क्र.-489; 27/11/2021	100	129.07	64.54
			बिलासपुर			
10.	बैटरी चलित नैपसैक स्प्रेयर का वितरण	उपसंचालक कृषि, बिलासपुर	230117715879; 18/1/2023	880	52.08	52.08
11.	बैटरी चलित नैपसैक स्प्रेयर का वितरण	उपसंचालक कृषि, बिलासपुर	230114723355; 18/1/2023	1,464	88.77	86.64

स.क्र.	कार्य का विवरण/प्रशासनिक स्वीकृति	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति एवं दिनांक	हितग्राहियों की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि	जारी राशि
12.	बैटरी चलित नैपसैक स्प्रेयर का वितरण	उपसंचालक कृषि, बिलासपुर	230177722058; 18/1/2023	1,320	78.12	78.12
			कोरबा			
13.	कृषि उपकरणों का वितरण	जनपद पंचायत, पोड़ी-उपरोड़ा	प्रशा.स्वी.क्र.-15006; 27/06/2022	200	86.00	85.43
14.	कृषि उपकरणों का वितरण	जनपद पंचायत, पोड़ी-उपरोड़ा	प्रशा.स्वी.क्र.-15006; 27/06/2022	200	86.00	85.43
15.	कृषि उपकरणों का वितरण	जनपद पंचायत, पोड़ी-उपरोड़ा	प्रशा.स्वी.क्र.-15004; 27/06/2022	200	86.00	85.43
16.	कृषि उपकरणों का वितरण	जनपद पंचायत, पोड़ी-उपरोड़ा	प्रशा.स्वी.क्र.-15010; 27/06/2022	200	86.00	85.43
17.	कृषि उपकरणों का वितरण	जनपद पंचायत, पोड़ी-उपरोड़ा	प्रशा.स्वी.क्र.-15012; 27/06/2022	200	86.00	85.43
18.	कृषि उपकरणों का वितरण	जनपद पंचायत, पोड़ी-उपरोड़ा	प्रशा.स्वी. क्र -15014; 27/06/2022	200	86.00	85.43
19.	जिले के सभी जनपदों में उद्यानिकी यंत्रीकरण हेतु रोटरी टेलर का वितरण	सहायक संचालक उद्यान	प्रशा.स्वी.क्र.-10908; 26/11/2021	100	100.46	100.25
20.	पोड़ी जनपद में उद्यानिकी मशीनीकरण के लिए पावर वीडर का वितरण	सहायक संचालक उद्यान	प्रशा.स्वी.क्र.-13701; 21/03/2022	96	101.76	101.76
21.	पाली जनपद में उद्यानिकी मशीनीकरण के लिए पावर वीडर का वितरण	सहायक संचालक उद्यान	प्रशा.स्वी.क्र.-13703; 21/03/2022	96	101.76	101.76
			महासमुंद			
22.	कृषि उपकरणों का वितरण	उप संचालक, उद्यान	230139726688; 08/06/2023	50	63.45	63.45
23.	कृषि उपकरणों का वितरण	उप संचालक, उद्यान	230135361617; 09/06/2023	30	38.07	38.07
24.	कृषि उपकरणों का वितरण	उप संचालक, उद्यान	230135361617; 09/06/2023	32	40.61	40.61
25.	किसानों के खेत (378 हेक्टेयर) में शेड नेट का निर्माण	उप संचालक, उद्यान	220188756454; 11/11/2022	04	125.17	125.17
26.	किसानों के खेत (327 हेक्टेयर) में शेड नेट का निर्माण	उप संचालक, उद्यान	220183527298; 11/11/2022	04	110.32	110.32

स.क्र.	कार्य का विवरण/प्रशासनिक स्वीकृति	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति एवं दिनांक	हितग्राहियों की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि	जारी राशि
27.	सौर सुजला योजना के अंतर्गत सोलर सबमर्सिबल पंप की स्थापना	क्रेडा	240117181281; 13/03/2024	61	200.00	200.00
रायपुर						
28.	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी गैस कनेक्शन का वितरण	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	2903; 22/7/2016 एवं 4792; 29/9/2018	67,905	300.34	300.34
सुकमा						
29.	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी गैस कनेक्शन का वितरण	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	11; 02/01/2018	50	6.90	6.90
30.	झींगा/मछली के बीजों का वितरण	सहायक संचालक, मत्स्य पालन	181; 19/12/2018	700	39.00	39.00
योग				**89,760**	**2,811.09**	**2,708.86**

परिशिष्ट 3.2

(कंडिका 3.2 में संदर्भित)

न्यासों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	न्यास	कुल जारी प्रशासकीय स्वीकृति (कार्य/परियोजनाओं की संख्या)		पूर्ण कार्य/परियोजनाएं		निरस्त कार्य/ परियोजनाएं		प्रगतिरत कार्य/ परियोजनाएं	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	बालोद	3,657	479.41	3,051	385.87	263	40.53	343	53.00
2.	बस्तर	8,035	1,006.73	4,190	90.20	965	95.03	2,880	821.49
3.	बेमेतरा	514	69.92	239	30.03	13	1.79	262	38.09
4.	बिलासपुर	3,256	604.82	1,111	212.89	101	33.48	2,044	185.20
5.	कोंडागांव	713	261.10	329	112.64	45	33.29	339	115.18
6.	कोरबा	8,954	2,678.82	6,554	1,859.97	747	324.58	1,653	494.28
7.	महासमुंद	1,274	131.36	1,120	89.94	13	2.66	141	38.75
8.	मुंगेली	1,359	160.67	668	66.58	72	13.69	619	80.38
9.	रायगढ़	3,382	501.94	1,645	256.36	298	21.31	1,439	231.06
10.	रायपुर	1,458	193.87	1,051	137.75	69	11.99	338	47.89
11.	राजनांदगांव	1,888	199.15	1,542	146.59	169	15.70	177	36.85
12.	सुकमा	1,264	447.75	903	222.05	25	7.87	336	217.81
योग		**35,754**	**6,735.54**	**22,403**	**3,610.87**	**2,780**	**601.92**	**10,571**	**2,359.98**

परिशिष्ट 3.3

(कंडिका 3.2.1 में संदर्भित)

अपूर्ण/अप्रयुक्त कार्यों/परिसंपत्तियों पर निधि का अवरुद्ध रहना

(₹ लाख में)

स. क्र.	कार्य/संपत्ति का नाम	न्यास	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि/दिनांक	प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार उपयोग की गई निधि	वर्तमान स्थिति/लेखापरीक्षा टिप्पणी
(अ) अपूर्ण कार्य					
1.	पोड़ी-उपरोड़ा से माचाडोली बांध तक सड़क निर्माण	कोरबा	512.93/ 11/03/2018	184.53	लेखापरीक्षा में पाया गया कि सड़क निर्माण का कार्य आदेश अगस्त 2018 में कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगों संभाग (क्र. 3) द्वारा जारी किया गया था और इसे मई 2019 तक पूरा किया जाना था। कार्यपालन अभियंता द्वारा कई नोटिस जारी किए जाने के बाद भी ठेकेदार शेष कार्य (अक्टूबर 2022) पूरा करने में विफल रहा। कार्यपालन अभियंता ने कार्य को अपूर्ण स्थिति में ही रोक दिया (नवंबर 2011) और विभाग द्वारा शेष कार्य नहीं किया गया। हालांकि, अपूर्ण अंतिम प्रमाणपत्र के आधार पर, न्यास ने अपनी प्रगति प्रतिवेदन को पूर्ण कार्य के रूप में अद्यतन कर दिया, जो न्यास द्वारा पर्याप्त निगरानी की कमी को दर्शाता है।
2.	माझगांव, कोटा-बिलासपुर में छोटे चूजे के उत्पादन इकाई की स्थापना	बिलासपुर	75.00/ 27/01/2022	37.50	जिला खनिज संस्थान न्यास बिलासपुर ने जनवरी 2022 में संयुक्त संचालक पशुपालन विभाग को 120 दिनों के भीतर लघु मुर्गीपालन इकाई स्थापित करने के लिए ₹75 लाख की मंजूरी दी थी। न्यास ने अप्रैल 2022 में पहली किस्त के रूप में ₹37.50 लाख रुपये आवंटित किए। इसके बाद क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा शेष राशि जारी करने के लिए कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया और जिला खनिज संस्थान न्यास ने भी इसकी निगरानी नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप दो वर्ष से अधिक की अवधि से कार्य लंबित रहा।
3.	सुअर/बकरी पालन शेड निर्माण	कोंडागांव	53.58/ 15/10/2019	44.09	शेडों का निर्माण अधूरा था और भौतिक सत्यापन के दौरान क्षतिग्रस्त पाया गया।
4.	मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण	कोरबा	1,709.00/ 04/03/2017	1,279.00	जुलाई 2017 में ठेकेदार को यह कार्य सौंपा गया था और इसे 16 महीनों में पूरा किया जाना था। कार्य सौंपे जाने के बाद स्थल विवाद और अनुमानों में संशोधन के कारण कार्य में देरी हुई। 80 प्रतिशत कार्य पूरा होने पर, कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया और मल्टीलेवल पार्किंग के एक हिस्से को 60 बिस्तरों वाले अस्पताल में परिवर्तित करने का प्रस्ताव रखा गया। कार्य अधूरा रह गया और रोक दिया गया। बाद में, नगर निगम ने (मार्च 2023) इमारत की ऊपरी तीन मंजिलों को व्यावसायिक उपयोग के लिए परिवर्तित करने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि यह इमारत मल्टीलेवल पार्किंग के लिए उपयुक्त

स. क्र.	कार्य/संपत्ति का नाम	न्यास	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि/दिनांक	प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार उपयोग की गई निधि	वर्तमान स्थिति/लेखापरीक्षा टिप्पणी
					नहीं थी। हालांकि, इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है और इमारत वर्तमान में अधूरी है और किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं है (फरवरी 2024)।
5.	कन्वेंशन सेंटर का निर्माण	कोरबा	1,715.00/ 13/02/2018	1,372.00	छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए न्यास ने अक्टूबर 2016 में ₹12.18 करोड़ की मंजूरी प्रदान की थी और इसकी पहली किस्त के रूप में क्रमशः ₹5.29 करोड़ जारी की थी, ₹5.29 करोड़ और ₹3.13 करोड़ दिसंबर 2016, 2017 और 2022 में जारी किए गए थे। अनुमानों में कुछ मदों के हट जाने के कारण, मंजूरी को नवंबर 2016 और फरवरी 2018 में क्रमशः ₹13.26 करोड़ और ₹17.15 करोड़ के लिए पुनरीक्षित किया गया था। दिसंबर 2022 तक ₹13.72 करोड़ की धनराशि जारी की जा चुकी थी, लेकिन न्यास द्वारा शेष धनराशि (₹3.43 करोड़) विलंब से जारी होने के कारण निर्माण कार्य अधूरा रह गया था।
6.	छात्रावास अधीक्षक आवास का निर्माण	सुकमा	8.00/ 30/12/2017	8.00	जिला खनिज संस्थान न्यास सुकमा द्वारा दिसंबर 2017 में, आदिम जाति विकास विभाग सुकमा को बालिका छात्रावास अधीक्षक के आवास के निर्माण हेतु ₹8 लाख की स्वीकृति दी गई थी। कार्य आदेश मई 2018 में तीन महीने के भीतर पूरा करने के लिए जारी किया गया था। प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार, दिसंबर 2024 तक निर्माण कार्य अधूरा था।
योग (अ)				**2,925.12**	
(ब) अप्रयुक्त संपत्ति					
7.	बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र की आपूर्ति, स्थापना और परिचालन	बस्तर	33.05/ 24/06/2022	33.05	बायोगैस संयंत्र की फरवरी 2023 में स्थापना के बाद, जगदलपुर नगर निगम द्वारा इसे चालू किया गया था। हालांकि, इसके बाद गोबर की आपूर्ति न होने के कारण इसका उपयोग नहीं हो सका। बायोगैस संयंत्र के संचालन के लिए प्रतिदिन 500 किलोग्राम गोबर की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति की व्यवस्था नहीं की गई थी। इसलिए, संयंत्र उपयोग में नहीं है।
8.	कला एवं सांस्कृतिक केंद्र	कोरबा	376.00/ 13/02/2018	301.00	छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा कला एवं सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण के लिए न्यास ने अक्टूबर 2016 में स्वीकृति जारी की थी। सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण 2020 में पूरा हुआ और इसे शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया। केंद्र में दो बार चोरी और तोड़फोड़ (2020 और जुलाई 2021) की घटनाओं के बाद, शिक्षा विभाग ने (सितंबर 2021 में) केंद्र जिला खनिज संस्थान न्यास को वापस कर दिया और वर्तमान में यह जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा की देखरेख में अनुपयोगी पड़ा है।
9.	बायोगैस चालित विद्युत उत्पादन संयंत्र	कोरबा	64.00/ 05/08/2022	51.02	तकनीकी समस्याओं के कारण परिचालन में नहीं है।

स. क्र.	कार्य/संपत्ति का नाम	न्यास	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि/दिनांक	प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार उपयोग की गई निधि	वर्तमान स्थिति/लेखापरीक्षा टिप्पणी
10.	बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र की आपूर्ति, स्थापना और परिचालन	सुकमा	30.00/ 21/06/2022	30.00	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि गोबर की आपूर्ति न होने के कारण संयंत्र उपयोग में नहीं था।
योग (ब)				**415.07**	
(स) संयुक्त भौतिक निरीक्षण में लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई कमियां					
11.	लेमनग्रास के लिए तेल निष्कर्षण इकाई	रायपुर	18.64	18.64	यद्यपि क्रियान्वयन एजेंसी- सहायक निदेशक जिला राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के द्वारा दतरेंगा में लेमनग्रास के लिए तेल निष्कर्षण इकाई का निर्माण पूरा कर लिया गया था, लेकिन यह उपयोग में नहीं पाई गई जिसके कारण अभिलेखों में नहीं पाए गए।
12.	प्राकृतिक पेंट (गोबर पेंट) इकाई के लिए मशीन और उपकरणों की स्थापना और परिचालन	रायपुर	29.76	29.76	संयुक्त भौतिक निरीक्षण (सितंबर 2024) में यह पाया गया कि प्लांट सितंबर 2023 से ही चालू नहीं था और निष्क्रिय पड़ा था; तथा इसके चालू न होने के कारणों के बारे में लेखापरीक्षा को कोई जानकारी नहीं दी गई थी।
13.	बिहान कैफेटेरिया का निर्माण	रायपुर	10.00	10.00	जिला खनिज संस्थान न्यास और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के दिशानिर्देशों के उद्देश्य से परे, संपत्ति को एक निजी एजेंसी को किराए पर कैफे के रूप में संचालित करने के लिए वाणिज्यिक उपयोग हेतु सौंप दिया गया था।
14.	उसलापुर फ्लाईओवर से फोर्ड शोरूम रोड तक चैड़ीकरण और बीटी कार्य	बिलासपुर	898.45	718.76	जिला खनिज संस्थान न्यास बिलासपुर ने नवंबर 2022 में बिलासपुर नगर निगम को उसलापुर फ्लाईओवर के निर्माण के लिए ₹8.98 करोड़ की स्वीकृति दी थी, जिसे 547 दिनों (18 महीने) में पूरा करना था। सड़क की चैड़ाई 15 मीटर से बढ़ाकर 25 मीटर करने के कारण फरवरी 2024 में स्वीकृति राशि को पुनरीक्षित करके ₹11.67 करोड़ कर दिया गया। हालांकि, मुख्य नगरपालिका अधिकारी कार्यालय ने नवंबर 2024 में काम पूरा होने की सूचना दी थी। संयुक्त भौतिक निरिक्षण के दौरान, गणेश वाटिका क्षेत्र के पास सड़क क्षतिग्रस्त पाई गई, जिसमें एक किलोमीटर से अधिक की लंबाई में सिकुड़न थी। सड़क का ढलान नाले से डिवाइडर की ओर गलत तरीके से बनाया गया था, जबकि इसे डिवाइडर से नाले की ओर होना चाहिए था। सड़क का निर्माण कैंबर या क्रॉस स्लोप का ध्यान रखे बिना किया गया था, जो सुरक्षा में सहायक होता है और सड़क की सतह से पानी को बहाकर ले जाने में मदद करता है, जिससे जल प्रदूषण और जल जमाव को रोका जा सकता है।
15.	टॉय ट्रेन, संजय कानन, खैरा	महासमुंद	8.00	5.50	महासमुंद नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि टॉय ट्रेन की पटरी 2022 से बंद पड़ी है। इसके अलावा, नगर पालिका परिषद के अधिकारियों ने बताया कि उनके द्वारा किए गए कार्यों से

स. क्र.	कार्य/संपत्ति का नाम	न्यास	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि/दिनांक	प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार उपयोग की गई निधि	वर्तमान स्थिति/लेखापरीक्षा टिप्पणी
					संबंधित अभिलेख, जिनमें माप पुस्तिकाएं भी शामिल हैं, गायब हैं। निर्मित संपत्तियों को उनके संपत्ति पंजी में दर्ज नहीं किया गया है।
16.	कड़कनाथ मुर्गी पालन उत्पादन इकाई	बालोद	19.90	19.90	संयुक्त भौतिक निरीक्षण (अप्रैल 2024) में यह पाया गया कि संपत्ति क्षतिग्रस्त थी और सितंबर 2023 से इसका उपयोग नहीं किया जा रहा था क्योंकि संपत्ति को असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था।
17.	मशरूम उत्पादन इकाई	बालोद	37.07	37.07	
			योग (स)	**839.63**	

परिशिष्ट 3.4

(कंडिका 3.2.2 में संदर्भित)

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के निर्धारित गतिविधियों के बाहर के लिए न्यास निधि का आवंटन

(₹ लाख में)

स.क्र.	कार्य का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	स्वीकृति वर्ष	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी राशि
		बस्तर			
1.	कॉफी बागवानी कोडेनार 02, मांझीभाटा, टांगियाझोड़ी	उद्यानिकी	2022-23	605.80	242.32
2.	कोविड देखभाल केंद्र के संचालन के लिए	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	2021-22	1,070.71	887.36
3.	जगदलपुर स्थित कलेक्टर परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष का निर्माण	लोक निर्माण विभाग	2023-24	7.44	7.20
4.	आजीविका संवर्धन भवन, परपा जगदलपुर में कार्यालय कक्ष, स्टाफ कक्ष, अध्यक्ष कक्ष, गार्ड कक्ष और सीढ़ी कक्ष का निर्माण कार्य	लोक निर्माण विभाग	2023-24	49.76	49.76
5.	पारपा में आजीविका संवर्धन एवं परीक्षा भवन में मीटिंग हॉल का निर्माण	लोक निर्माण विभाग	2023-24	49.99	24.99
6.	डी जे कैंपस जगदलपुर की दूसरी मंजिल पर सार्वजनिक प्रतीक्षा कक्ष का निर्माण	लोक निर्माण विभाग	2023-24	50.00	19.64
7.	बस्तर जिला प्रशासन के सोशल मीडिया नेटवर्क की तकनीकी निगरानी और प्रचार-प्रसार हेतु शोध और शोधित संचार रणनीति	सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण, जगदलपुर	2021-22	19.80	19.17
8.	छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के प्रशासन के लिए डिजिटल पर्यटन ऐप्स के डिजाइन, विकास और प्रशिक्षण हेतु एजेंसी के लिए निविदा के लिए अनुरोध	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत लोहंडीगुड़ा	2020-21	48.50	47.84
9.	कलेक्ट्रेट परिसर में बगीचा	आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर	2020-21	2.93	1.46
10.	कलेक्ट्रेट भवन में प्रथम मंजिल का निर्माण	आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर	2020-21	22.10	11.05
11.	बस्तर जिला प्रशासन के सोशल मीडिया नेटवर्क की तकनीकी निगरानी और प्रचार-प्रसार हेतु अनुसंधान एवं अनुसंधान आधारित संचार रणनीति	सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण, जगदलपुर	2020-21	19.90	19.80
12.	जगदलपुर में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण	प्रभारी, भू-अभिलेख शाखा, जगदलपुर	2018-19	38.00	38.00
13.	आडावल में प्रवेश द्वार के सौंदर्यीकरण का कार्य	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जगदलपुर	2017-18	19.75	14.14
14.	बस्तर तहसील कार्यालय में आधुनिक रिकॉर्ड रूम का निर्माण	लोक निर्माण विभाग	2017-18	13.94	6.97
15.	किलेपाल तहसील कार्यालय में आधुनिक रिकॉर्ड रूम का निर्माण	लोक निर्माण विभाग	2017-18	13.94	13.33
16.	लोहंडीगुडा तहसील कार्यालय में आधुनिक रिकॉर्ड रूम का निर्माण	लोक निर्माण विभाग	2017-18	13.94	13.94
17.	तहसील कार्यालय जगदलपुर में वाहन शेड का निर्माण	लोक निर्माण विभाग	2017-18	2.10	2.10

स.क्र.	कार्य का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	स्वीकृति वर्ष	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी राशि
18.	तहसील कार्यालय जगदलपुर में आंगन के फर्श का नवीनीकरण	लोक निर्माण विभाग	2017-18	8.50	7.58
19.	तहसील कार्यालय जगदलपुर का जीर्णोद्धार	लोक निर्माण विभाग	2017-18	7.25	6.38
20.	दरभा तहसील कार्यालय में शौचालय का निर्माण	लोक निर्माण विभाग	2017-18	8.50	7.77
योग				**2,072.85**	**1,440.80**
बेमेतरा					
21.	कार्यालय स्थापना मद के अंतर्गत वाहनों की खरीद (01-अतिरिक्त कलेक्टर, 01 नोडल अधिकारी, जिला खनिज संस्थान)	कलेक्टर, बेमेतरा	2022-23	3.00	3.00
योग				**3.00**	**3.00**
बिलासपुर					
22.	सार्वजनिक भवनों के बाहरी हिस्से में लगी रोशनी	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2023-24	216.68	195.01
23.	मुंगेली रोड पर एमएलसीपी बिल्डिंग के बगल में उद्यान विकास कार्य	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2023-24	94.51	47.26
योग				**311.19**	**242.27**
कोंडागांव					
24.	कलेक्टर कार्यालय परिसर में ड्रिप सिंचाई प्रणाली की स्थापना और फलों के बगीचे तथा लॉन का निर्माण	सहायक संचालक उद्यानिकी, कोंडागांव	2017-18	3.31	1.66
25.	सड़क, पुल, भवन, कृषि एवं आवासीय क्षेत्र क्लस्टर और शहरी विकास कार्यों जैसे विभिन्न भौतिक अवसंरचना कार्यों के लिए जेसीबी की खरीदी	जिला निर्माण समिति, कोंडागांव	2018-19	50.00	50.00
26.	जनपद पंचायत केशकल के अंतर्गत उप-मंडल अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय और तहसील कार्यालय में चारदीवारी का निर्माण	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत केशकाल	2020-21	13.62	13.62
27.	नगर पंचायत फरसगांव में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण	मुख्य नगरपालिक अधिकारी नगर पंचायत फरसगांव	2021-22	63.90	51.12
28.	केशकल और फरसगांव जनपद की विभिन्न पंचायतों में राम वन गमन पथ पर प्रवेश द्वार और अन्य निर्माण कार्य	वनमंडलाधिकारी केशकाल, संभाग-केशकाल	2023-24	26.85	10.74
29.	उड़ान महिला कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड कोण्डागांव में संचालित गतिविधियाँ	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	2022-23	50.00	50.00
योग				**207.68**	**177.14**
कोरबा					
30.	कोरबा स्थित कलेक्ट्रेट भवन में एक नया 8 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना, जिसमें एक नया बैटरी पैक, एक अतिरिक्त इन्वर्टर और आवश्यक वायरिंग शामिल है।	क्रेडा	2017-18	6.50	6.50

स.क्र.	कार्य का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	स्वीकृति वर्ष	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी राशि
31.	ग्राम तिवरता में श्री हीरा मरकाम की प्रतिमा की स्थापना	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पाली	2023-24	9.00	3.60
32.	जिला खनिज शाखा के हॉल और कमरे की फॉल्स सीलिंग और नवीनीकरण।	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	2016-17	7.60	6.08
33.	कोरबा स्थित जिला कार्यालय में दिव्यांगजनों के लिए एक डक्ट और लिफ्ट का निर्माण।	लोक निर्माण विभाग	2016-17	32.22	12.89
34.	पुलिस अधीक्षक कोरबा कार्यालय में विकलांगों के लिए डक्ट और लिफ्ट का निर्माण	लोक निर्माण विभाग	2016-17	32.22	12.89
35.	पोडी-उपरोड़ा स्थित समग्र शिक्षा एवं क्लस्टर समन्वयक भवन का जीर्णोद्वार	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास	2021-22	6.52	6.36
36.	अतिरिक्त कलेक्टर शिविर कार्यालय का जीर्णोद्वार	लोक निर्माण विभाग	2017-18	7.31	2.92
योग				**101.37**	**51.24**
महासमुंद					
37.	तहसील कार्यालय में 5 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र	क्रेडा	2016-17	27.89	27.89
38.	कलेक्टर कार्यालय हॉल में विभाजन का काम	लोक निर्माण विभाग	2021-22	4.78	3.26
39.	कलेक्टर कार्यालय महासमुंद में शेड का निर्माण	लोक निर्माण विभाग	2017-18	6.59	6.59
40.	कलेक्टर कार्यालय के सामने का बगीचा	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	2022-23	5.41	5.41
41.	कलेक्टर कार्यालय के सामने का बगीचा	उद्यानिकी	2021-22	2.97	2.97
42.	प्रवेश द्वार संख्या-1, सिरपुर	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	2021-22	25.00	25.00
43.	राम वन गमन पथ प्रवेश द्वार, तुमगांव, अछोला रोड जोबा, महासमुंद	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	2021-22	12.00	12.00
44.	जिला खनिज संस्थान कार्यालय का जीर्णोद्वार	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	2023-24	5.00	4.57
45.	तहसील कार्यालय में पटवारी प्रशिक्षण हॉल	लोक निर्माण विभाग	2018-19	19.45	16.25
46.	कलेक्टर कार्यालय में उद्यान विकास	छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड महासमुंद	2023-24	49.44	24.72
47.	पटवारी कार्यालय में उद्यान विकास	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा		20.00	10.00
योग				**178.53**	**138.66**
मुंगेली					
48.	नए जिला पंचायत भवन में 10 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुंगेली	2017-18	32.26	31.98
49.	मुंगेली जिला पंचायत में 20 कंप्यूटर सेट की खरीद	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुंगेली	2017-18	12.00	11.93
50.	1 फोटोकॉपी मशीन और 20 यूपीएस की खरीद	कलेक्टर (वित्त) मुंगेली	2017-18	2.00	1.94
51.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय की पहली मंजिल पर बैठक कक्ष का निर्माण	छ.ग.मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर	2017-18	14.72	5.88

स.क्र.	कार्य का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	स्वीकृति वर्ष	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी राशि
52.	लोरमी तहसील कार्यालय में चारदीवारी का निर्माण	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मुंगेली	2018-19	13.19	13.19
53.	मुंगेली कलेक्ट्रेट भवन में चारदीवारी का निर्माण	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग मुंगेली	2018-19	6.97	6.97
54.	नए जिला पंचायत भवन में साज-सज्जा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुंगेली	2018-19	9.78	9.78
55.	पुलिस आवास उद्यान में प्रकाश व्यवस्था	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मुंगेली	2022-23	2.00	1.86
56.	पथरिया नगर पंचायत के वार्ड संख्या 9 में ध्वज स्तंभ और चबूतरा की खरीद	मुख्य नगरपालिक अधिकारी, नगर पंचायत पथरिया	2023-24	15.00	6.00
57.	तुमाढेठा ग्राम पंचायत में स्वागत द्वार का निर्माण	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पथरिया	2020-21	2.00	2.00
58.	लोरमी एसडीएम कार्यालय के सामने चारदीवारी का निर्माण	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मुंगेली	2018-19	3.96	3.96
योग				**113.88**	**95.49**
रायगढ					
59.	कलेक्टर कक्ष के पीछे रैंप का निर्माण, रजिस्ट्रार कार्यालय में रैंप और शौचालय, सृजन मीटिंग हॉल में रैंप, आरसीसी लिफ्ट डक्ट और अन्य कार्य	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग रायगढ़	2017-18	25.85	25.85
60.	रायगढ़, जिला रायगढ़ स्थित कलेक्टर कार्यालय में एक (13-यात्री) लिफ्ट की स्थापना	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (वि/या.)रायगढ़		15.35	9.21
61.	ग्राम पंचायत खुरुसलांगा के प्रवेश द्वार पर स्वागत द्वार का निर्माण	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तमनार रायगढ़	2021-22	8.00	4.00
62.	किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी , रायगढ़ को अनुदान	किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रायगढ़	2019-20 to 2022-23	550.00	550.00
63.	किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रायगढ़ में विद्युतीकरण कार्य	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (वि/या.)रायगढ़	2017-18	195.00	96.21
योग				**794.20**	**685.27**
रायपुर					
64.	एल्कोमीटर (ब्रीथ एनालाइजर) 50 नग / 0.531 प्रति नग	पुलिस अधीक्षक, रायपुर	2018-19	26.55	26.55
65.	वाहन एम्बुलेंस 200 नग / 0.085 प्रति नग	पुलिस अधीक्षक, रायपुर	2018-19	17.00	16.94
66.	बॉडी वियर कैमरा 20 नग / 0.91 प्रति नग	पुलिस अधीक्षक, रायपुर	2018-19	18.20	17.83
67.	ध्वनि स्तर मीटर 7 नग / 0.95 प्रति नग	पुलिस अधीक्षक, रायपुर	2016-17	6.65	6.65
68.	रायपुर जिला कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में बिजली का काम, जिसमें लाइट और पंखा शामिल है	लोक निर्माण विभाग (वि./या.)रायपुर	2016-17	3.17	3.17

स.क्र.	कार्य का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	स्वीकृति वर्ष	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी राशि
69.	रायपुर जिला कार्यालय के रिकॉर्ड रूम के लिए फोटोकॉपी मशीन, कंप्यूटर और सीसीटीवी कैमरा की खरीद	लोक निर्माण विभाग (वि/या.)रायपुर	2017-18	5.03	4.53
योग				**76.60**	**75.67**
राजनांदगांव					
70.	दमकल वाहन की खरीद	मुख्य नगरपालिक अधिकारी नगर पंचायत, खैरागढ़	2019-20	35.00	35.00
71.	डोंगरगाँव स्थित एसडीएम कार्यालय (राजस्व) में चारदीवारी का निर्माण	लोक निर्माण विभाग, राजनांदगांव	2017-18	10.00	8.89
72.	रेड क्रॉस भवन का जीर्णोद्वार	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, राजनांदगांव	2023-24	5.00	2.00
73.	रेड क्रॉस भवन में दो दुकानों का निर्माण	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, राजनांदगांव	2023-24	23.43	9.37
74.	मछलीघर सह उद्यान का निर्माण	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, राजनांदगांव	2022-23	29.93	29.93
75.	प्रवेश द्वार का निर्माण	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, राजनांदगांव	2022-23	6.97	6.97
76.	प्रवेश द्वार का निर्माण	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, राजनांदगांव	2022-23	6.97	6.36
77.	सरकारी नर्सरी में चारदीवारी का निर्माण	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, राजनांदगांव	2017-18	17.21	17.21
योग				**134.51**	**115.73**
सुकमा					
78.	कोंटा स्थित एसडीएम (राजस्व) कार्यालय में चारदीवारी और फर्श का निर्माण	कार्यपालन अभियंता. लोक निर्माण विभाग (पु/स) सुकमा	2016-17	13.92	13.92
79.	छिंदगढ़ हेलीपैड का निर्माण	कार्यपालन अभियंता. लोक निर्माण विभाग (पु/स) सुकमा	2017-18	23.40	23.40
80.	कलेक्टर कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण (अशोक और अमलतास)	वनमंडलाधिकारी, सुकमा	2016-17	10.85	10.85
योग				**48.17**	**48.17**
महायोग				**4,041.98**	**3,073.44**

परिशिष्ट 3.5

(कंडिका 3.2.4 (अ) में संदर्भित)

खुली निविदा आमंत्रित किए बिना वस्तुओं की अनियमित खरीदी

(₹ लाख में)

स.क्र.	आपूर्ति/खरीदी का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि	जारी राशि	टिप्पणी
			बालोद		
1.	सोलर स्ट्रीट लाइट सिस्टम	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास , बालोद	114.62	114.33	जिला खनिज संस्थान न्यास बलोद ने डोंडी, डोंडीलोहारा, गुंडरदेही, गुरुर और बालोद ब्लॉक के छात्रावासों/आश्रमों में सोलर स्ट्रीट लाइट और एक्सटेंशन बोर्ड लगाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी। कार्यान्वयन एजेंसी ने छ.ग. भंडार क्रय नियमों का पालन किए बिना खरीद का अधिकार छात्रावास अधीक्षकों को सौंप दिया। सभी छात्रावास अधीक्षकों ने खुली निविदा आमंत्रित किए बिना एक ही आपूर्तिकर्ता से खरीदी की
2.	एक्सटेंशन बोर्ड	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास , बालोद	22.53	21.57	
3.	प्रेशर सैंड फिल्टर आरओ/आयरन रिमूवल प्लांट की स्थापना	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बालोद, गुंडरदेही, डोंडी	154.85	147.36	जिला खनिज संस्थान न्यास बालोद ने 2023-24 के दौरान प्रेशर सैंड फिल्टर आरओ प्लांट/आयरन रिमूवल प्लांट की स्थापना के लिए ₹5.22 करोड़ की राशि आवंटित की और जनपद पंचायतों को क्रियान्वयन एजेंसियों के रूप में नियुक्त किया। ₹1.55 करोड़ के 19 मामलों की नमूना जांच में पता चला कि क्रियान्वयन एजेंसियों ने छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना वस्तुओं की खरीदी की।
			बस्तर		
4.	ट्यूबवेल की खुदाई और हैंड पंप की स्थापना	उपमंडल अधिकारी, ई/एम लाइट मशीनरी, ट्यूबवेल और गेट उपमंडल, जगदलपुर, बस्तर	103.08	103.08	क्रियान्वयन एजेंसी ने छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों के तहत आवश्यक निविदा प्रक्रिया का पालन किए बिना विभिन्न स्थानों पर ट्यूबवेल की खुदाई और हैंड पंप की स्थापना का कार्य संपन्न किया। क्रियान्वयन एजेंसी ने पांच फर्मों से सहमति प्राप्त की और उन्हें अनुमानित दरों पर कार्य सौंप दिया।
5.	सोलर हाई मास्ट और स्ट्रीट लाइट सिस्टम	उपमंडल अधिकारी, ई/एम लाइट मशीनरी, ट्यूबवेल और गेट उपमंडल, जगदलपुर, बस्तर	399.40	199.70	

स.क्र.	आपूर्ति/खरीदी का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि	जारी राशि	टिप्पणी
			बेमेतरा		
6.	सैनिटरी नैपकिन बनाने के उपकरण की खरीद	जिला शिक्षा अधिकारी, बेमेतरा	25.00	24.88	क्रियान्वयन एजेंसी ने निविदा प्रक्रिया का पालन किए बिना जेम पोर्टल में चयनित विक्रेता से सैनिटरी नैपकिन बनाने के 100 उपकरण खरीदे।
			बिलासपुर		
7.	तखतपुर ब्लॉक के 25 गांवों में 50 हाइब्रिड सोलर हाई मास्ट की स्थापना	उपमंडल अधिकारी, ई/एम लाइट मशीनरी, ट्यूबवेल और गेट उपमंडल, सकरी, बिलासपुर	249.00	124.50	क्रियान्वयन एजेंसी ने निविदा जारी किए बिना ही कार्यों को क्रियान्वित किया और ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत सहमति के अनुसार अनुमानित दरों पर कार्य आवंटित किए।
8.	तखतपुर के गांवों में 400 हाइब्रिड सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना	उपमंडल अधिकारी, ई/एम लाइट मशीनरी, ट्यूबवेल और गेट, बिलासपुर	228.00	114.00	
9.	ब्लेज़र, ट्रैक सूट आदि उपलब्ध कराने हेतु	जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर	390.00	195.00	खरीदी सीधे सी-मार्ट से की गई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था।
			कोरबा		
10.	सोलर लाइट	जनपद पंचायत कटघोरा, पोड़ी उपरोड़ा, कटघोरा	704.59	704.59	जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा ने 2018-19 से 2023-24 की अवधि के दौरान सोलर हाई मास्ट लाइट/स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए ₹99.78 करोड़ आवंटित किए और संबंधित जनपद पंचायतों को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया। यह कार्य क्रेडा के तकनीकी पर्यवेक्षण के बिना निष्पादित किया गया। ₹7.05 करोड़ के 43 मामलों की नमूना जांच में पता चला कि क्रियान्वयन एजेंसियों ने कोटेशन के आधार पर प्रतिस्पर्धी बोली के बिना वस्तुओं की खरीद की, जिसमें चार फर्मों ने भाग लिया और उनके बीच एक साथ आपूर्ति आदेश भी जारी किए गए। आपूर्ति की गई वस्तुओं के चालान/कोटेशन में तकनीकी विशिष्टताओं का अभाव था।
योग			**2,391.07**	**1,749.01**	

परिशिष्ट 3.6

(कंडिका 3.2.4 (ब) में संदर्भित)

तकनीकी मानदंडों और विशिष्टताओं को निर्धारित किए बिना वस्तुओं का क्रय

(₹ लाख में)

स.क्र.	आपूर्ति/खरीदी का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी	प्रशासकीय स्वीकृति राशि	जारी राशि	टिप्पणी
बस्तर					
1.	जल शोधन, मॉड्यूलर फर्नीचर, (आरओ) सिस्टम, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि।	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग बस्तर	796.11	796.11	निविदाएं बिना किसी विशेष शर्त के आमंत्रित की गईं और एल1 फर्म द्वारा दी गई सबसे कम दर के आधार पर आपूर्ति आदेश जारी किए गए, जिसमें खरीदी जाने वाली वस्तुओं के तकनीकी विशिष्टताओं/मानकों का उल्लेख नहीं किया गया था।
2.	विभागीय आश्रमों और छात्रावासों के लिए बिस्तर किट उपलब्ध कराना (मिंक कंबल कवर वाली बेडशीट, तकिया, कवर सहित गद्दा, मच्छरदानी)		409.40	409.40	
3.	विभागीय आश्रमों और छात्रावासों के लिए आदर्श स्वच्छता किट उपलब्ध कराना		122.95	122.95	
4.	बस्तर जिले के 50 स्वामी आत्मानंद सरकारी विद्यालयों में पुस्तकालय की स्थापना	जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान बस्तर	600.00	600.00	पुस्तकालय की स्थापना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें मौजूदा भवनों का नवीनीकरण, विद्युतीकरण के साथ-साथ फर्नीचर, पुस्तकें, प्रयोगशाला उपकरण आदि की आपूर्ति शामिल है। निविदाएं खरीदी जाने वाली वस्तुओं के तकनीकी मानदंडों को निर्दिष्ट किए बिना आमंत्रित की गईं और आपूर्ति आदेश भी तकनीकी विशिष्टताओं को निर्दिष्ट किए बिना एल1 दरों के आधार पर जारी किए गए।
5.	बस्तर जिले के 50 आत्मानंद विद्यालयों में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना	जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान बस्तर	1,250.00	1,250.00	
बिलासपुर					
6.	बिलासपुर जिले के नागोई और गन्यारी स्थित बहु-गतिविधि केंद्र में वस्त्र कारखानों की स्थापना	प्रधानाचार्य, जिला परियोजना, आजीविका महाविद्यालय समिति, बिलासपुर	1,407.92	703.96	निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी करते समय खरीदी जाने वाली वस्तुओं के एक विशेष ब्रांड की विशिष्ट आवश्यकताओं का उल्लेख किया गया था, जिससे प्रतिस्पर्धी बोली लगाने का दायरा सीमित हो गया।
योग			**4,586.38**	**3,882.42**	

परिशिष्ट 4.1

(कंडिका 4.3 में संदर्भित)

मानव संसाधन स्थिति

स.क्र.	न्यास	कुल स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्ति (प्रतिशत)	प्रमुख रिक्त पद
1.	बालोद	11	3	8 (73)	परियोजना समन्वयक/सहायक परियोजना समन्वयक विकास सहायक/सहायक लेखा अधिकारी/लेखपाल
2.	बस्तर	11	6	5 (45)	परियोजना समन्वयक/सहायक परियोजना समन्वयक/ सहायक लेखा अधिकारी/लेखपाल
3.	बेमेतरा	7	0	7 (100)	परियोजना समन्वयक/सहायक परियोजना समन्वयक/ लेखपाल
4.	बिलासपुर	12	3	9 (75)	सहायक परियोजना समन्वयक/विकास सहायक/ सहायक लेखा अधिकारी/लेखपाल
5.	कोंडागांव	7	4	3 (57)	परियोजना समन्वयक/सहायक परियोजना समन्वयक/ लेखपाल
6.	कोरबा	11	7	4 (36)	सहायक परियोजना समन्वयकविकास सहायक
7.	महासमुंद	6	6	6 (100)	परियोजना समन्वयक/ विकास सहायक/लेखपाल
8.	मुंगेली	6	4	2 (33)	परियोजना समन्वयक/विकास सहायक/लेखपाल
9.	रायगढ़	10	3	7(70)	परियोजना समन्वयक/ विकास सहायक/लेखपाल
10.	रायपुर	6	5	1 (20)	सहायक परियोजना समन्वयक/सहायक लेखा अधिकारी
11.	राजनांदगांव	4	1	3 (75)	विकास सहायक/ लेखपाल
12.	सुकमा	6	3	3 (50)	परियोजना समन्वयक/सहायक परियोजना समन्वयक/ विकास सहायक
योग		**97**	**45**	**52 (54)**	

© भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/chhattisgarh/hi